

इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)

दिशा-निर्देश

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
कृषि भवन
नई दिल्ली - 110114
जून, 2013

प्रस्तावना

इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख योजना है, जिसमें शुरूआत से ही ऐसे बीपीएल परिवारों को सहायता दी जाती है, जो या तो बेघर हैं या जिनके पास सुरक्षित और टिकाऊ आश्रय के निर्माण के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) इस मंत्रालय की व्यापक गरीबी उपशमन कार्यनीति का अंग है, जिसके द्वारा विस्तार और सुधार के पर्याप्त प्रावधानों वाले, पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त आवासों के विकास के लिए सहायता दी जा रही है।

“सभी के लिए आश्रय” की मंत्रालय की प्रतिबद्धता को और बल तब मिला जब भारत ने जून, 1996 में मानव आवास संबंधी इस्ताम्बूल घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें किसी व्यक्ति के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए उसे सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक आश्रय एवं आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को बुनियादी जरूरत माना गया है। “ हैबिटेट” दृष्टिकोण का उद्देश्य बुनियादी ढांचे, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, बिजली इत्यादि जैसी आधारभूत सुविधाओं के विकास और इनमें सुधार लाने वाली पहल के माध्यम से सभी के लिए, विशेषकर वंचित शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए पर्याप्त आश्रय सुनिश्चित करना है।

भारत के संविधान में ग्रामीण आवास को राज्य सरकारों और पंचायती राज संस्थाओं के कार्यक्षेत्र में रखा गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ग्रामीण आवास उपलब्ध कराना उपेक्षितों के लिए किया जाने वाला गरीबी उपशमन का प्रमुख उपाय है, केंद्र सरकार सभी के लिए आश्रय को संभव बनाने के दृष्टिकोण के तहत आई.ए.वाई. का कार्यान्वयन करती रही है। मकान को महज आश्रय या रहने की जगह न मानकर, ऐसी परिसंपत्ति माना गया है, जो आजीविका चलाने के लिए सहायक है, सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है और सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्ति भी है। एक अच्छा घर प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप होगा, परिवार को खराब मौसम से संरक्षण प्रदान करेगा और आने-जाने के साधनों से जुड़ा होगा तथा उसमें आर्थिक कार्य चलाने की सुविधाएं होंगी।

विषय-वस्तु

अध्याय	विषय और उप शीर्ष	पृष्ठ संख्या
1.	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	1
2.	दृष्टिकोण एवं कार्यनीतियां	3
3.	योजना की मुख्य विशेषताएं	7
	3.1 लक्ष्य समूह	7
	3.2 योजना के घटक	7
	3.2.1 नए मकान के निर्माण के लिए सहायता	7
	3.2.2 जीर्ण-शीर्ण या कच्चे मकानों का उन्नयन	9
	3.2.3 मकानों के लिए जमीनों का प्रावधान	9
	3.2.4 विशेष परियोजनाएं	10
	3.3 वित्त-पोषण पद्धति	11
	3.4 निधियों का निर्धारण	11
	3.5 निधियों का आबंटन	12
	3.6 प्रशासनिक लागत	13
	3.7 कार्यान्वयन एजेंसी	14
	3.8 अधिकार-प्राप्त समिति	14
4	आई.ए.वाई. का क्रियान्वयन	16
	4.1 कार्यान्वयन संबंधी दृष्टिकोण	16
	4.2 बसावटों का अभिज्ञान	17
	4.3 बेस लाइन सर्वेक्षण और पंचवर्षीय प्राथमिकता सूची तैयार करना	17
	4.4 लाभार्थियों की वार्षिक सूचियों को अंतिम रूप दिया जाना	18
	4.5 लक्ष्यों का निर्धारण	19
	4.6 लाभार्थियों का क्षमता विकास	19
	4.7 स्वीकृति पत्र जारी करना और प्रथम किस्त की रिलीज	20
	4.8 मकानों का आवंटन	21
	4.9 निर्माण	21

	4.10 डिजाइन एवं निर्माण मानक	22
	4.11 तकनीकी सहायता	23
	4.12 निर्माण तथा किशतों की रिलीज के चरण	23
	4.13 निर्माण हेतु समय-सीमा	24
	4.14 निर्माण पूरा किया जाना	24
5	निधि की रिलीज तथा प्रबंधन	25
	5.1 आवंटन	25
	5.2 राज्य-वार प्रस्ताव	25
	5.3 निधियों की रिलीज	25
	5.4 पहली किस्त की रिलीज की प्रक्रिया	26
	5.5 दूसरी किस्त की रिलीज की प्रक्रिया	26
	5.6 राज्य अंश की रिलीज	28
	5.7 पुनःआबंटन	28
	5.8 आई.ए.वाई. खाते का प्रबंधन	29
	5.9 लाभार्थियों को भुगतान	29
6	सहायता प्रणालियां	30
	6.1 उपयुक्त निर्माण प्रौद्योगिकियों का प्रसार	30
	6.2 क्षमता विकास	30
	6.3 प्रौद्योगिकी का अंतरण	31
	6.4 प्रौद्योगिकी सरलीकरण केंद्र	31
	6.5 सामग्री की दरें तय करना	31
	6.6 प्रीफेब्रिकेशन	32
	6.7 राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण	32
	6.8 तालमेल	32
	6.9 अतिरिक्त संसाधन जुटाना	34
7	पंचायतों की भूमिका	36
8	उत्तरदायित्व	39
	8.1 प्रकटीकरण	39
	8.2 लेखा परीक्षा	40
	8.3 सामाजिक लेखा परीक्षा	40
	8.4 शिकायत निवारण	43

9	निगरानी	45
	9.1 भारत सरकार द्वारा निगरानी	45
	9.2 कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निगरानी	45
	9.3 गुणवत्ता निगरानी प्रणाली	46
	9.4 समुदाय/सहभागी निगरानी	46
	9.5 प्रबंधन सूचना तंत्र	47
	9.5.1 आवाससाफ्ट की विशेषताएं	47
	9.5.2 विभिन्न स्तरों पर डाटा प्रविष्टि की प्रक्रिया	49
	9.5.3 आवाससाफ्ट के माध्यम से निधि प्रवाह	50
	9.6 एमआईएस के जरिए निगरानी	51
	9.7 आवाससाफ्ट पर प्रशिक्षण	52
	अनुबंध	
	अनुसूची	53
	अनुबंध 1 - दूसरी किस्त की रिलीज के लिए चेक लिस्ट	54
	अनुबंध 2 - दूसरी किस्त की रिलीज के लिए प्रोफार्मा	56
	अनुबंध 3 - समेकित उपयोग प्रमाण-पत्र	59

अध्याय -I

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1.1 स्वतंत्रता के तुरंत बाद शरणार्थियों के पुनर्वास हेतु देश में एक सार्वजनिक आवास कार्यक्रम शुरू किया गया। 1960 तक उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में लगभग 5 लाख परिवारों को मकान उपलब्ध कराए गए।

1.2 सामुदायिक विकास आंदोलन (सीडीएम) के भाग के रूप में वर्ष 1957 में एक ग्रामीण आवास कार्यक्रम (वीएचपी) शुरू किया गया था जिसके अंतर्गत व्यक्तियों और सहकारी संस्थाओं को प्रति मकान 5000 रु. तक का ऋण प्रदान किया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना (1974-1979) के अंत तक इस योजना के अंतर्गत केवल 67000 मकान ही बनाए जा सके थे। चौथी योजना में मकान के लिए जमीन-सह-निर्माण सहायता योजना(एचएससीएस) नामक एक दूसरी योजना शुरू की गई जो 1974-75 से राज्य क्षेत्र को अंतरित कर दी गई थी।

1.3 इंदिरा आवास योजना देश में अब तक शुरू किए गए कार्यक्रमों में सबसे बड़ा और व्यापक ग्रामीण आवास कार्यक्रम है। इसकी उत्पत्ति 1980 में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी) और 1983 में शुरू किए गए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरएलईजीपी) के मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों से हुई थी क्योंकि इन कार्यक्रमों के अंतर्गत मकानों के निर्माण की अनुमति दी जाती थी। तथापि, कोई सामान्य मानदण्ड नहीं था।

1.4 जून, 1985 में आरएलईजीपी की उप-योजना के रूप में इंदिरा आवास योजना शुरू की गई जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के मकानों के निर्माण के लिए निधियों का एक हिस्सा अलग रखा गया। जब अप्रैल, 1985 में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी तब 6 प्रतिशत निधियां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के मकानों के निर्माण के लिए आबंटित की जाती थीं। 1993-94 में जेआरवाई के अंतर्गत मकानों के लिए निर्धारित निधियों को बढ़ाकर 10 प्रतिशत करते हुए गैर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के परिवारों को इसमें शामिल किया गया था और इस श्रेणी के लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त 4 प्रतिशत निधियों का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी।

1.5 1 जनवरी, 1996 से इंदिरा आवास योजना एक स्वतंत्र योजना बना दी गई थी। अब यह गरीबी की कठिनाइयों को कम करने तथा निर्धनों को मकान के सुनिश्चित पते का गौरव प्रदान करने ताकि उन्हें विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का आसानी से लाभ मिल सके, वाली ग्रामीण गरीबी उपशमन की वृहद कार्यनीति के हिस्से के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।

अध्याय - 2

दृष्टिकोण एवं कार्यनीतियां

2.1 आवास मानव की एक मौलिक आवश्यकता है; यह मानव जीवन और एक सम्मानजनक जीवन यापन की एक बुनियादी जरूरत है। मकान केवल अलग-अलग परिवारों के लिए नहीं होता बल्कि यह पूरे स्थानीय समुदाय के लिए होता है। वस्तुतः आवास प्रकृति के कहर से बचाता है और बाहरी दुनिया के शोर-शराबे से हमें सुरक्षित रखता है एवं शांति प्रदान करता है। मकान के रूप में यह न केवल सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि अपने स्थान के आधार पर हमें विभिन्न सुविधाएं भी मुहैया कराता है। मात्र आश्रय, आवास और मकान के अलावा, प्रत्येक व्यक्ति अंततोगत्वा एक ऐसे घर की कामना करता है जिस पर उसका मालिकाना हक हो और जिससे उसे मानसिक संतुष्टि और पहचान मिले तथा जो उसके आत्म सम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाए। मकान व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव डालता है तथा यह उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है। यह आजीविका में मदद करता है तथा सामाजिक एकता को बढ़ाता है। यह एक प्रकार का सांस्कृतिक अनुभव है और व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति का प्रतीक है।

2.2 खुद का एक आरामदायक मकान होना मनुष्य की लंबे समय से संजोयी इच्छा का पूरा होना है। मनुष्य की इच्छाओं और प्राथमिकताओं को साकार करते हुए मकान परिवार और सामाजिक जीवन को भी संवारता है। यह व्यक्तियों के जीवन और मनोवृत्ति को परिवर्तित करने वाला प्रमुख कारक है और उनके चरित्र निर्माण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है तथा यह उनके समग्र विकास का माहौल तैयार करता है। एक अच्छा मकान प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप होगा और यह परिवार को मौसम की मार से बचाता है तथा ठंड के मौसम में गर्म, गर्मी के मौसम में ठंडा तथा वर्षा के दौरान सूखा रहता है। परिवार इतना सक्षम होना चाहिए कि वह स्थानीय रूप से उपलब्ध कौशलों और सामग्रियों का इस्तेमाल करते हुए अपने वित्तीय संसाधनों से मकानों का रखरखाव कर पाए और जरूरी मरम्मत करा पाए। मकान के आसपास समुचित बाहरी सड़क संपर्क उपलब्ध होंगे, ताकि आने-जाने, सुविधाएं प्राप्त करने, आर्थिक कामकाज करने में मदद मिल सके और प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो सकें।

2.3 मकान एक उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु दोनों हैं। यह एक आर्थिक वस्तु भी है जो जीवन स्तर को बेहतर बनाता है। यह कल्याणकारी राज्य में एक महत्वपूर्ण हकदारी है जो ऐसे नागरिकों को प्रदान की जाती है जिनके पास खुद का मकान वहन कर पाने की क्षमता नहीं है। सार्वजनिक आवास में निवेश स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है और इससे लोगों का कल्याण होता है।

2.4 सार्वजनिक आवास का उद्देश्य अनिवार्य रूप से 'कोर हाऊस' या 'स्टार्टर हाऊस' के रूप में परिवार में कामकाजी स्थान की बुनियादी जरूरतों की व्यवस्था करना है। हालांकि यह सीमित क्षेत्र में अनिवार्य वासस्थल मुहैया कराता है, फिर भी यह शौचालय सहित सभी मामलों में परिपूर्ण होता है। जैसे-जैसे परिवार बढ़ता है और उसकी आर्थिक स्थिति सुधरती जाती है वैसे-वैसे इस प्रकार के मकान का विस्तार एवं विकास होता रहता है। कोर मकान का डिजाइन और उसका आकार संस्कृति के हिसाब से अलग-अलग होगा। यह सिर पर मात्र छत होने से बढ़कर है। इसका तात्पर्य पर्याप्त जगह, आसान पहुंच, न्यूनतम जरूरतों की उपलब्धता, शारीरिक शांति एवं आराम की व्यवस्था, अच्छा माहौल तथा सुरक्षा एवं स्थायित्व की गारंटी से है। यह मूल रूप से सामाजिक, आजीविका और पारिस्थितिकीय परिवेश से जुड़ा होगा। इसमें प्रगति को बढ़ावा देने वाला माहौल होना चाहिए ताकि यह शिक्षा और पेशे के विकल्पों के जरिए समग्र विकास के अवसर उपलब्ध कराए और अगली पीढ़ी को आज की पीढ़ी की तरह भटकना न पड़े।

2.5 यह ध्यान में रखा जाए कि ग्रामीण भारत में विद्यमान अधिकांश मकान समुदाय द्वारा वित्तपोषित, स्व-निर्मित और स्व-प्रबंधित हैं, उनमें से अधिकांश में स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों एवं पारंपरिक प्रौद्योगिकियों से युक्त श्रम का इस्तेमाल हो रहा है और अक्सर इनकी गुणवत्ता बेहतर होती है तथा कई वर्षों से यही प्रचलन में हैं। यह 'सामाजिक उत्पादन प्रक्रिया' का परिणाम है, जो कि जन केंद्रित होता है। यह स्वाभाविक रूप से पर्यावरण अनुकूल रचना है। इसलिए सरकारी पहलों में संसाधनों एवं उन्नत जानकारी, प्रौद्योगिकी एवं कौशल उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

2.6 ग्रामीण आवास विकास को गरीबी उपशमन और समग्र ग्रामीण विकास के संदर्भ में देखा जाना है और निम्नलिखित कार्यनीतियां प्रासंगिक हैं :-

- (i) चल रही प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना और स्थानीय रूप से अनुपयुक्त डिजाइनों और प्रौद्योगिकियों के बदले इसका इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रियाओं में मदद करते हुए इसे आगे ले जाने में लोगों की सहायता करना।
- (ii) मकान में स्वीकार्य कार्य स्थलों को शामिल करने के साथ-साथ क्रमिक विस्तार और सुधार के पर्याप्त प्रावधान के साथ 'कोर हाऊस' के निर्माण में मदद करना ।
- (iii) प्रयोक्ता की जरूरतों के आधार पर मकानों की डिजाइन निर्धारित करना।
- (iv) वहनीयता, अनुकूलता, रोजगार सृजन, पर्यावरण लाभ (ग्रीन टेक्नोलॉजी), जीवन चक्र में ऊर्जा की खपत, रखरखाव एवं टिकाऊपन को ध्यान में रखते हुए सामग्री एवं निर्माण प्रौद्योगिकियों के चयन को बढ़ावा देना।
- (v) उपयुक्त निर्माण प्रौद्योगिकियों का निर्धारण और पारंपरिक एवं स्थानीय प्रौद्योगिकियों का उन्नयन, जिससे टिकाऊ मकानों का निर्माण हो पाएगा जो कि उचित रखरखाव करने पर कम से कम 30 वर्षों तक चल सकें।
- (vi) सुव्यवस्थित निकाय के रूप में आवास पर ध्यान केंद्रित करना जिसमें जल, धूप और हरियाली जैसे प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल को बरकरार रखा जाता हो और जो ग्रामीण आजीविका के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं के प्रति भी संवेदनशील हो;
- (vii) आश्रय के मूल स्वरूप को संरक्षित रखना।
- (viii) अनु.जा./अनु.ज.जा. के परिवारों, महिलाओं की प्रमुखता वाले परिवारों और विकलांग व्यक्तियों तथा खासकर उपेक्षित समूहों, जो अपनी आश्रय संबंधी जरूरतों को व्यक्त भी नहीं कर सकते, को योजना का लाभ प्राप्त करने और मकानों का निर्माण कर पाने में सक्षम बनाते हुए पुरजोर तरीके से समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना।
- (ix) मकानों के डिजाइन, प्रौद्योगिकी और वित्त पोषण के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया को महिलाओं के अनुकूल बनाना।
- (x) पारंपरिक राजमिस्त्रियों और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों और इंजीनियरों के हुनर को तराशना तथा नई जानकारियां प्रदान करना और महिला राजमिस्त्रियों के समूहों में अच्छे

डिजाइन, उपयुक्त निर्माण प्रौद्योगिकियों एवं साथ ही निपुण कार्यस्थल एवं निर्माण प्रबंधन के साथ-साथ किफायती निर्माण कार्य की समझ विकसित करना।

(xi) आवास कार्यक्रम की आयोजना एवं कार्यान्वयन में विशेष रूप से ग्राम स्तर पर पंचायतों को बेहतर भूमिका प्रदान करना।

2.7 इस प्रकार इंदिरा आवास योजना जनता के कौशल को बिल्डरों के रूप में बढ़ावा देने और एक प्रकार की 'प्रतिवर्तित सहभागिता' को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करती है जिसमें सरकार लोगों द्वारा खुद मकान बनाने की स्थानीय प्रक्रिया में हिस्सा लेती है।

अध्याय - 3

योजना की मुख्य विशेषताएं

3.1 लक्ष्य समूह

मूलरूप से इंदिरा आवास योजना बेघर और जीर्णशीर्ण एवं कच्चे मकानों में रह रहे गरीब परिवारों के लिए सार्वजनिक आवास योजना है, जिसमें भूमिहीन गरीबों को मकानों के लिए जमीन उपलब्ध कराने वाला घटक भी शामिल है। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों को सरकार से कुछ वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराके उन्हें अपने मकान बनाने के कार्य में मदद करने के लिए बनाई गई है। बीपीएल परिवारों के निर्धारण के लिए समय-समय पर सुझाए जाने वाले मानदंडों का अनुपालन करते हुए, इन परिवारों का निर्धारण ग्राम सभाओं के माध्यम से समुदाय द्वारा किया जाता है।

3.2 योजना के घटक :-

इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के घटक इस प्रकार हैं :

3.2.1 नए मकान के निर्माण हेतु सहायता

मैदानी क्षेत्रों, पर्वतीय राज्यों तथा समेकित कार्य योजना जिलों सहित दुर्गम क्षेत्रों में आई.ए.वाई. मकान की लागत संलग्न अनुसूची के अनुसार होगी। दुर्गम क्षेत्र वे क्षेत्र हैं, जहां निर्माण-सामग्री की कम उपलब्धता, दुर्गमता और प्रतिकूल भौगोलिक, मौसमी एवं भूवैज्ञानिक परिस्थितियों जैसे कारणों से निर्माण कार्य की लागत काफी बढ़ जाती है। किसी राज्य में 'दुर्गम क्षेत्र' का निर्धारण संबंधित राज्य सरकार अपनी तैयार की हुई कार्यप्रणाली के आधार पर करेगी और उक्त निर्धारण को मंजूरी इस कार्यक्रम से संबंधित अधिकार प्राप्त समिति देगी। ग्राम पंचायतों को इकाई माना जाए।

नोट : 'नए मकान' का अर्थ ऐसा बनाया गया मकान है, जिसका 'निर्मित क्षेत्र' शौचालय को छोड़कर कम से कम 20 वर्ग मीटर हो। आई.ए.वाई. मकान इस अर्थ में 'पक्का' होना चाहिए कि वह मकान मुनासिब रखरखाव से कम से कम 30 वर्ष तक रहन-सहन और मौसमी परिस्थितियों सहित प्राकृतिक कारणों से होने वाली सामान्य टूट-फूट को सहन कर सके। उसकी छत स्थायी सामग्री की बनी होनी चाहिए और दीवारें स्थानीय मौसमी परिस्थितियों को सहने में सक्षम होनी

चाहिएं और इन पर पलस्तर करने की जरूरत तभी पड़नी चाहिए जब इन दीवारों की बाहरी सतह क्षतिग्रस्त होने लगे। तीस वर्ष की मियाद सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विनिर्देशों के अनुरूप बनाए गए मिट्टी और बांस के मकान भी स्वीकार्य हैं। हुडको बीएमपीटीसी, आईआईटी, इंजीनियरी कॉलेजों जैसे प्रतिष्ठित संगठनों और भवन निर्माण क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अनुमोदित सामग्री और प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। बीआईएस विनिर्देशों वाली प्रौद्योगिकियों और सामग्री को शामिल किया जा सकता है। पहले से इस्तेमाल की हुई भवन निर्माण सामग्री के दोबारा इस्तेमाल की अनुमति है। पर्यावरण के अनुकूल (ग्रीन) प्रौद्योगिकियों को विशेष रूप से बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। यदि कोई नई प्रौद्योगिकी अपनाई जाती है तो उसका पूर्व-अनुमोदन अधिकार प्राप्त समिति या उस समिति द्वारा अनुमोदित किसी एजेंसी से लिया जाए। लाभार्थियों को सामग्री और प्रौद्योगिकी के बारे में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे इन विकल्पों के चयन का निर्णय ले सकें।

प्रत्येक मकान में एक शौचालय, सोखता गड्ढा और कम्पोस्ट गड्ढा होना चाहिए। धूँआँ-रहित चूल्हे भी शामिल होने चाहिए, जिनसे उन मकानों को छूट दी जा सकती है, जहां परिवारों के पास एलपीजी/बायोगैस कनेक्शन हो। स्थानीय रूप से उपयुक्त रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी स्थापित किया जाना चाहिए। प्रत्येक परिवार को बाथरूम का निर्माण कराने के लिए सक्रियतापूर्वक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

यदि राज्य अतिरिक्त सहायता दे तो न्यूनतम निर्मित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। राज्य अधिकतम क्षेत्र निर्धारित कर सकते हैं, ताकि लोगों को कर्ज न लेना पड़े।

सामान्यतः योजना के अंतर्गत एक-एक भवन बनाए जा सकते हैं। जहां कहीं भी लाभार्थी चाहते हैं वहां डुप्लेक्स मकान की मंजूरी दी जा सकती है। साथ ही सघन आबादी वाले इलाकों में, जहां भूमि की कीमत काफी अधिक है वहां लाभार्थियों के लिए बहुमंजिले मकान बनाने की अनुमति दी जा सकती है, जहां एक परिवार को एक फ्लोर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में भूतल सहित अधिकतम तीन फ्लोर होंगे। ऐसे मामले में राज्य सरकार के साथ बहु-पक्षीय करार किया जाना चाहिए, जिसमें निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारियां निर्धारित की जाएं।

3.2.2 जीर्ण-शीर्ण या कच्चे मकानों का उन्नयन :

इसमें छत/दीवारों का उन्नयन, कुछ हिस्सों की मरम्मत/नव-निर्माण और इसी प्रकार के अन्य कार्य शामिल होंगे। पहले से इस्तेमाल हो चुकी सामग्री को उन्नयन में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अतिरिक्त सामग्री के इस्तेमाल/प्रतिस्थापन, मकान के डिजाइन में बदलाव और/या उसकी कारीगरी में भी सुधार के परिणामस्वरूप ऐसा मकान यथोचित रखरखाव से कम से कम 30 वर्ष तक टिकने में सक्षम होना चाहिए। दिशानिर्देशों की अनुसूची के अनुसार सहायता दी जाएगी।

नोट : कच्चा मकान ऐसा मकान है जिसकी दीवारें और/या छत कच्ची ईंट, बांस, मिट्टी, घास, सरकण्डे आदि जैसी सामग्रियों से बनी हो, जो कि तकनीक के अनुपयुक्त प्रयोग के कारण टिकाऊ न हो तथा मौसम की सामान्य मार न झेल सके।

जीर्ण-शीर्ण मकान का तात्पर्य ऐसा पक्का मकान है, जो कि सामान्य टूट-फूट या अन्य किसी कारण से इतना क्षतिग्रस्त हो गया हो कि उसमें रहा न जा सकता हो।

उन्नयन का अर्थ ऐसे कच्चे/जीर्ण-शीर्ण मकानों में नए मकान जैसे मानकों के अनुरूप सुधार करना है।

3.2.3 मकानों के लिए जमीनों का प्रावधान

भूमिहीन गरीब विशेष रूप से असुरक्षित होते हैं क्योंकि उन्हें दोहरे नुकसान की मार झेलनी पड़ती है, जिसमें एक ओर तो वे निराश्रित होते हैं और दूसरी ओर उनके पास अपना मकान बनाने के लिए जमीन भी नहीं होती है। मकानों के लिए जमीन उपलब्ध कराने हेतु सहायता अनुसूची के अनुसार दी जाएगी।

राज्य सरकारें, अपने-अपने राज्यों में मकानों हेतु जमीनों के लिए पात्रताएं अधिसूचित कर सकती हैं। जमीन की उपलब्धता और उसकी लागत के आधार पर विभिन्न बस्तियों में उपलब्ध कराई जाने वाली जमीनों के आकार के संबंध में अलग-अलग मानक तय किए जा सकते हैं। आदर्शतः कम से कम 10 सेंट भूमि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

मकानों के लिए जमीन घटक हेतु बसावटों में उपलब्ध सार्वजनिक जमीनें जिला कलेक्टरों द्वारा निर्धारित की जानी चाहिएं और ये जमीनें पात्र भूमिहीन परिवारों को आबंटित की जानी चाहिएं। यदि सार्वजनिक जमीन उपलब्ध न हो तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का

अनुपालन करते हुए अपेक्षित जमीन खरीदी जा सकती है। यदि यह संभव न हो तो अंतिम उपाय के रूप में जमीन का अधिग्रहण किया जाए।

जमीन का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह जमीन सड़क संपर्क, पेयजल की उपलब्धता, सार्वजनिक संस्थाओं से निकटता इत्यादि की दृष्टि से उपयुक्त हो। राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थान के चयन में उन लोगों की भागीदारी हो, जिनके लिए चयन किया जा रहा हो और उन्हें वह स्थान पूरी तरह स्वीकार्य हो।

यदि इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि पर्याप्त न हो तो राज्य सरकार अतिरिक्त निधियां प्रदान कर सकती है। यदि लाभार्थी जमीन खरीदने के लिए इच्छुक हो तो विधिवत सत्यापन के बाद पात्रतानुसार राशि की प्रतिपूर्ति उसे की जा सकती है। राज्यों को इस घटक के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी करने चाहिए।

जमीन पाने वाले ऐसे सभी भूमिहीन लोगों को मकान उपलब्ध कराने के लिए राज्य परियोजनाएं तैयार करके इन्हें आई.ए.वाई. के अंतर्गत प्राथमिकता दे सकते हैं। मकानों के लिए जमीनें पाने वाले ऐसे भूमिहीन लोगों का ब्यौरा उपलब्ध हो जाने के बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय विशेष रूप से इस श्रेणी के लाभार्थ निधियां एक सूत्र के आधार पर निर्धारित करेगा और इन निधियों का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकेगा।

3.2.4 विशेष परियोजनाएं

आई.ए.वाई. आबंटन की 5% निधियां केंद्रीय स्तर पर आरक्षित रखी जाएंगी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इन निधियों का उपयोग करने के लिए विशेष परियोजनाओं के प्रस्ताव निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं: -

- (1) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित बीपीएल परिवारों का पुनर्वास
- (2) हिंसा और विधि व्यवस्था से संबंधित समस्याओं से प्रभावित बीपीएल परिवारों का पुनर्वास
- (3) मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों और मैला ढोनेवालों को बसाने की परियोजनाएं
- (4) विशेषरूप से असुरक्षित जनजातीय समूहों को बसाने की परियोजनाएं

- (5) नई प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन की परियोजनाएं - विशेषकर किफायती और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों पर जोर।

राज्य सरकारों को ये परियोजनाएं पर्याप्त ब्यौरा और औचित्य दर्शाते हुए सितंबर महीने तक ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रस्तुत करनी होंगी [सिवाए (1) और (2) के] और अधिकार-प्राप्त समिति अनुमोदन के प्रयोजनार्थ इन पर विचार करेगी।

3.3 वित्त-पोषण पद्धति

इस योजना की लागत में भारत सरकार और राज्य सरकारें 75:25 के अनुपात में योगदान करेंगी। पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में यह अनुपात 90:10 होगा। मकानों के लिए जमीनें उपलब्ध कराने की लागत में भारत सरकार और राज्य सरकार की भागीदारी का अनुपात 50:50 होगा। संघ राज्य क्षेत्रों में भारत सरकार पूरी लागत वहन करेगी।

3.4 निधियों का निर्धारण

राष्ट्रीय स्तर पर 60% निधियां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित की जाएंगी और इन समुदायों के बीच निधियों के वितरण का अनुपात ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर तय किया जाएगा और लक्ष्यों में दर्शाया जाएगा। इसके अतिरिक्त 15% निधियां अल्पसंख्यकों के लिए अलग रखी जाएंगी। राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम 3% लाभार्थी विकलांग व्यक्तियों में से हों। निधियों का राज्य-वार आबंटन पैरा संख्या 3.5 के अनुसार किया जाएगा। निधियों का यह निर्धारण मात्र न्यूनतम सीमा है, जिसकी पूर्ति राज्यों को करनी होगी और राज्य यदि चाहें तो वे इन श्रेणियों के लिए लक्ष्य बढ़ा सकते हैं। इन श्रेणियों से संबंधित लक्ष्य कम नहीं किए जाने चाहिए। तथापि, यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में से किसी भी श्रेणी के पात्र लाभार्थी उपलब्ध न हों तो इन दोनों श्रेणियों के लक्ष्य एक-दूसरे के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं और इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया जाए।

यदि किसी जिले में किसी श्रेणी का कोई पात्र व्यक्ति न हो तो जिला कलेक्टर या जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी करना चाहिए। एक बार स्वीकृत हो चुका प्रमाण-पत्र रद्द नहीं किया जा सकेगा। तत्पश्चात ये लक्ष्य

अन्य जिलों के उसी श्रेणी के लाभार्थियों को अनुपातिक आधार पर पुनःआबंटित किए जाएंगे। तदनुरूप बदलाव आवास साफ्ट में भी तत्काल किए जाने चाहिए। अल्पसंख्यक लाभार्थियों के चयन के लिए राज्य मौजूदा स्थायी प्रतीक्षा सूची का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस सूची में नीचे आने वाले लाभार्थियों को भी लाभान्वित कर सकते हैं। यदि राज्यों ने अल्पसंख्यकों के लिए कोई अलग प्रतीक्षा सूची बनाई हो तो उस सूची का इस्तेमाल किया जा सकता है।

3.5 निधियों का आबंटन

कुल बजट के 95% का उपयोग इस योजना के नए मकान, उन्नयन और मकान के लिए जमीन घटकों तथा प्रशासनिक व्यय हेतु किया जाएगा। शेष 5% निधियां पैरा 3.2.4 में उल्लिखित विशेष परियोजनाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी।

फिलहाल जारी सामाजिक-आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) पूरी हो जाने पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटन और उनसे जिलों, ब्लॉकों और जहां राज्य चाहे, वहां ग्राम पंचायतों को आबंटन का आधार बीपीएल जनसंख्या में प्रत्येक श्रेणी अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और अन्य के बेघर लोगों की संख्या के आधार पर किया जाएगा।

जब तक ये आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय अद्यतन जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की कमी को 75% वेटेज और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) लोगों की संख्या को 25% वेटेज देते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु वार्षिक आवंटन तय करेगा। इस समग्र लक्ष्य के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के लिए निधियों का आबंटन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इन श्रेणियों की आनुपातिक संख्या के आधार पर किया जाएगा और विसंगतियां दूर करने के लिए इस आनुपातिक संख्या में उपयुक्त समायोजन किए जाएंगे। राज्य अगले स्तरों पर लक्ष्यों के आबंटन के लिए इस सिद्धांत का अनुपालन करेंगे। इस योजना के लिए प्रासंगिक आंकड़ों के आधार पर अन्य कोई वैकल्पिक सूत्र अपनाने का निर्णय करने वाले राज्य ऐसा करने का पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए अधिकार प्राप्त समिति से अनुमोदन की पूर्वानुमति दिए जाने का अनुरोध करेंगे (पैरा 3.8)।

जिला आवंटन के अधिकतम 20% का उपयोग जरूरत के अनुसार राज्यों द्वारा यथा-निर्धारित बीपीएल परिवारों के कच्चे/जीर्ण-शीर्ण मकानों के उन्नयन के लिए किया जा सकता है।

3.6 प्रशासनिक लागत

रिलीज की गई निधियों की 4% तक की राशि का उपयोग योजना के संचालन के लिए किया जा सकता है, जिसमें से 0.5% तक की राशि राज्य स्तर पर रखी जा सकती है और शेष राशि का वितरण जिलों को कर दिया जाएगा। जिला आवंटनों में दो हिस्से शामिल होंगे, जिनमें नियत खर्चों की पूर्ति के लिए पहला हिस्सा, जो कि राज्य के सभी जिलों के लिए बराबर होगा और कामकाजी खर्चों की पूर्ति के उद्देश्य से जिले को आवंटित लक्ष्यों के अनुपात के अनुरूप दूसरा हिस्सा होगा। राज्य यह सूत्र तथा मध्यवर्ती और ग्राम पंचायतों को सौंपे गए कार्य-भार के अनुसार, इन स्तरों पर वितरण का सूत्र भी तैयार कर सकते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत निधियों के वितरण के लिए राज्यों द्वारा अपनाए गए मानकों की सूचना 6 महीने के भीतर ग्रामीण विकास मंत्रालय को दी जाएगी।

प्रशासनिक लागत के अंतर्गत व्यय के लिए योग्य मदों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- (i) विशेष रूप से डिजाइनों और प्रौद्योगिकी के विभिन्न विकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक सामग्री सहित आईईसी सामग्री तैयार करना;
- (ii) हैबिटेट और आवास संबंधी जानकारी लाभार्थियों को देना;
- (iii) प्रदर्शन के लिए प्रोटोटाइपों का निर्माण और छोटे पैमाने के मॉडल तैयार करना;
- (iv) विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन मकान के फोटो खींच कर आवाससॉफ्ट पर अपलोड करने की लागत;
- (v) दौड़ों के जरिए गुणवत्ता पर्यवेक्षण और निगरानी की लागत;
- (vi) एमआईएस के लिए हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की लागत;
- (vii) एमआईएस आवास सॉफ्ट सॉफ्टवेयर में डाटा दर्ज करने की लागत, ठेके पर कार्मिकों की सेवाएं लेने सहित;
- (viii) रख-रखाव कार्यों के संबंध में प्रशिक्षण देने सहित मास्टर राजमिस्त्रियों और श्रम करने वाले लाभार्थियों को प्रशिक्षण देना;
- (ix) सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों और एनजीओ को प्रशिक्षण;

- (x) सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को मानदेय और एनजीओ को सेवा प्रभार का भुगतान करना;
- (xi) पंचायतों के पदाधिकारी और निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण;
- (xii) निर्धारण और मूल्यांकन अध्ययन कराना;

प्रशासनिक लागत में भी केंद्र और राज्य उसी अनुपात में भागीदारी करेंगे, जो मुख्य कार्यक्रम की लागत पर लागू है।

1.7 कार्यान्वयन एजेंसी

जिला स्तर पर कार्यान्वयन का कार्य जिला परिषद को सौंपा जाना चाहिए या जिन राज्यों में जिला परिषदें नहीं हैं वहां यह कार्य उसकी समकक्ष एजेंसी को सौंपा जाना चाहिए।

स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतें या जिस राज्य में ग्राम पंचायत नहीं है वहां इसकी समकक्ष एजेंसी कार्यक्रम को क्रियान्वित करेगी। यदि इस योजना के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायतें बहुत छोटी हों, तो राज्य यह कार्य मध्यवर्ती पंचायत को सौंप सकते हैं। ऐसे मामलों में हैबिटेट और लाभार्थियों के चयन तथा पर्यवेक्षण एवं निगरानी में ग्राम पंचायतों की स्पष्ट भूमिका होनी चाहिए।

3.8 अधिकार-प्राप्त समिति

सचिव (ग्रा.वि.)/अपर सचिव (ग्रा.वि.) की अध्यक्षता में अधिकार-प्राप्त समिति गठित की जाएगी, जिसके सदस्य होंगे :-

- i. संयुक्त सचिव (ग्रामीण आवास)
- ii. सलाहकार (योजना आयोग)
- iii. हुडको के प्रतिनिधि
- iv. नॉलेज नेटवर्क के प्रतिनिधि
- v. भवन निर्माण के क्षेत्र में कार्यरत दो प्रमुख गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि
- vi. संबंधित राज्य के ग्रामीण आवास प्रभारी सचिव
- vii. आईएफडी के प्रतिनिधि

अधिकार-प्राप्त समिति अपनी बैठकों में सहायता के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है।

अधिकार-प्राप्त समिति के कार्य इस प्रकार हैं :

- (i) दुर्गम क्षेत्रों के निर्धारण के लिए राज्य के मानदंडों को अनुमोदित करना (पैरा 3.2.1)
- (ii) मकानों का निर्माण कार्य संपन्न करने और नए निर्माण कार्य शुरू करने के लक्ष्य तय करना (पैरा 4.5)
- (iii) लक्ष्यों के जिलावार आबंटन के लिए राज्य द्वारा अपनाए जाने वाले वैकल्पिक सूत्र को अनुमोदित करना (पैरा 3.5)
- (iv) निधियों के पुनः आबंटन का निर्णय करना (पैरा 5.3)
- (v) 5% आबंटन के लिए विशेष परियोजनाएं स्वीकृत करना (पैरा 3.2.4)
- (vi) बैंकों से लिए जाने वाले ऋणों पर सब्सिडी से जुड़ी योजनाओं के लिए विशेष परियोजनाओं को मंजूरी देना (पैरा 6.9 (iv))
- (vii) आपवादिक मामलों में अस्थायी आधार पर नकद भुगतान की अनुमति देना (पैरा 4.7(iii))
- (viii) राज्य एजेंसी द्वारा केन्द्रीय अंश की राशि एक ही किस्त में दुर्गम क्षेत्रों को अंतरित किए जाने की अनुमति देना (पैरा 5.6.1 (iv))
- (ix) राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित ऐसी नई भवन निर्माण प्रौद्योगिकियों को अनुमोदित करना, जिन्हें किसी अन्य तकनीकी निकाय ने अनुमोदित न किया हो (पैरा 3.2.1 नोट)
- (x) कार्यक्रम की समीक्षा करना और अध्ययनों के सुझाव देना इत्यादि।
- (xi) उन मामलों में स्पष्टीकरण जारी करना जहां इन दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन करने में वास्तव में कठिनाई आ रही हो।

अध्याय - 4

आई.ए.वाई. का क्रियान्वयन

4.1 कार्यान्वयन संबंधी दृष्टिकोण

प्रत्येक राज्य द्वारा बसावट या क्लस्टर दृष्टिकोण और अलग-अलग परिवार के दृष्टिकोण की आवश्यकताओं एवं लाभों के बीच संतुलन बनाते हुए आई.ए.वाई. के लिए कार्यान्वयन कार्य नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता है।

निर्माण में किफायत रखने और गरीब परिवारों के लिए बुनियादी न्यूनतम जरूरतों हेतु प्रावधान करने तथा विस्तार एवं निगरानी में आसानी के लिए जहां तक संभव हो आई.ए.वाई. को बसावट दृष्टिकोण के अनुपालन में कार्यान्वित किया जाना चाहिए। सभी को लाभान्वित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित श्रेणियों की सभी बसावटों को शामिल किया जाएगा:-

1. पीटीजी
2. वन अधिकार अधिनियम के लाभार्थी परिवार

स्थानीय रूप से प्रासंगिक, पारदर्शी सामाजिक-आर्थिक मानदण्डों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा कवरेज हेतु अन्य बसावटों को निर्धारित किया जाएगा।

तथापि ऐसी कुछेक श्रेणियों के पात्र लाभार्थी, जो किसी ग्राम पंचायत के भीतर अलग-अलग स्थानों पर रह रहे हों, को शामिल करने के लिए अलग-अलग परिवार के दृष्टिकोण का प्रयोग किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण का पालन करते समय पहली वरीयता मैला ढोने वाले व्यक्तियों के परिवारों को दी जाएगी जिनमें पुनर्वासित व्यक्ति एवं पुनर्वासित बंधुआ मजदूर भी शामिल होंगे। तत्पश्चात निम्नानुसार वरीयता दी जाएगी:-

- (i) विधवाओं, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं सहित विषम परिस्थितियों वाली महिलाएं, अत्याचार से पीड़ित महिलाएं तथा ऐसी महिलाएं जिनके पति कम से कम 3 वर्षों से गुमशुदा हैं और महिला प्रधान परिवार।
- (ii) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति (कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता);
- (iii) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति (कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता);
- (iv) ट्रांसजेन्डर व्यक्ति;

(v) सशस्त्र कार्रवाई में मारे गए सेना/पैरामिलिट्री/पुलिस बल कर्मियों की विधवाएं और निकट संबंधी (चाहे बीपीएल न भी हों);

(vi) अन्य बेघर बीपीएल परिवार।

इससे वरीयता सूची में सर्वाधिक वंचित व्यक्तियों को शामिल किया जाना सुनिश्चित होगा। अ.जा., अ.ज.जा., विकलांग व्यक्तियों, अल्पसंख्यकों और अन्य व्यक्तियों के लिए ऊपर सुझाई गई वरीयता का पालन किया जाएगा।

राज्य बसावट दृष्टिकोण के अनुपालन में लिए जाने वाले मकानों तथा बिखरे हुए व्यक्तिगत लाभार्थियों हेतु लिए जाने वाले मकानों के अनुपात का निर्धारण करेंगे। ऐसा किए जाने के बाद पैरा 4.2 और पैरा 4.3 में सुझाई गई प्रक्रिया के अनुपालन में कार्यवाही शुरू की जाएगी।

4.2 बसावटों का निर्धारण

राज्य सरकार द्वारा तैयार किए जाने वाले पारदर्शी मानदंडों के आधार पर पंचवर्षीय एवं वार्षिक वरीयता सूची के साथ बसावटों की वरीयता निर्धारित की जाएगी।

बसावटों का चयन कर लिए जाने के बाद संबंधित पंचायतों को शामिल करते हुए राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए जिसमें मकानों के साथ-साथ बसावटों में भौतिक संपर्कता, विद्युत संपर्कता, जलापूर्ति, पर्यावरणीय स्वच्छता जैसी अन्य सुविधाओं और आंगनवाड़ी, पुस्तकालय, सामुदायिक भवन, वर्कशेड आदि जैसी सामाजिक अवसंरचनाओं के संबंध में ब्यौरे एकत्र किए जाएंगे। इस सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए ट्रान्सेक्ट वॉक, विषय-विशिष्ट सामूहिक परिचर्चाओं और जन आयोजना जैसे भागीदारीपूर्ण तरीके भी अपनाए जाने चाहिए। चुनी हुई बसावटों के सभी पात्र लाभार्थियों की सूची बनाई जाएगी।

4.3 बेसलाइन सर्वेक्षण और पंचवर्षीय प्राथमिकता सूची तैयार करना

प्रथम वर्ष (2013-14) में आई.ए.वाई. हेतु मौजूदा वरीयता सूची का प्रयोग जारी रखा जाएगा।

एसईसीसी के आंकड़े उपलब्ध होने के छह महीने के भीतर इस सूची में संशोधन किया जाएगा। बेसलाइन आंकड़े सामाजिक, आर्थिक और जाति-आधारित जनगणना, 2011 से लिए जाने चाहिए। एसईसीसी के बेसलाइन आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए भागीदारी-पूर्ण प्रक्रिया के जरिए उन लोगों की पंचवर्षीय प्राथमिकता सूची तैयार की जानी चाहिए, जिन्हें सहायता दी जानी है। निर्धनों के भागीदारीपूर्ण निर्धारण (पीआईपी) पद्धति का पालन करते हुए निम्न श्रेणियों के लिए स्थानीय रूप से स्वीकार्य वरीयता मानदंडों का प्रयोग करके लाभार्थियों एवं उनकी रैंकिंग का निर्धारण किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय पीआईपी हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा।

भूमिहीन परिवारों का निर्धारण करने के लिए भी एसईसीसी के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दो सेंट से कम जमीनों वाले सभी परिवारों को इस योजना के प्रयोजनार्थ भूमिहीन माना जाएगा। इस प्रकार तैयार की गई सूची का ऐसे सर्वेक्षण के जरिए जमीनी स्तर पर सत्यापन किया जाना चाहिए जिसमें ग्राम पंचायतें और स्थानीय समुदाय पूरी तरह शामिल होंगे। भूमिहीन गरीबों की पहचान कर लिए जाने के बाद आई.ए.वाई. मकान संघटक के लिए निर्दिष्ट पीआईपी प्रक्रिया के अनुसार इनकी प्राथमिकता का निर्धारण किया जाए और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों और अन्य व्यक्तियों की अलग सूची तैयार की जाएगी।

उपर्युक्त प्रक्रिया से तैयार हुई आई.ए.वाई. लाभार्थियों की पंचवर्षीय प्राथमिकता सूची और भूमिहीन परिवारों की सूची तथा निर्धारित बसावटों के लाभार्थियों की सूची ग्राम सभा की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जानी चाहिए। इस बैठक में जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि को शामिल होना चाहिए और उसका वीडियो बनाया जाना चाहिए। शामिल किए जाने एवं छोड़ दिए जाने संबंधी त्रुटियों को सुधारने के लिए एसईसीसी हेतु निर्धारित अपील की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ग्राम सभा की मंजूरी मिल जाने के बाद बसावटों और बिखरे हुए परिवारों के लिए ये पंचवर्षीय प्राथमिकता सूचियां आवास सॉफ्ट पर अपलोड की जानी चाहिए।

4.4 लाभार्थियों की वार्षिक सूचियों को अंतिम रूप दिया जाना :

आई.ए.वाई. लाभार्थियों की वार्षिक चयन सूची को अंतिम रूप देने के लिए पैरा 4.3 में उल्लिखित प्रक्रिया को पूरा करने तथा पंचवर्षीय वरीयता सूची को ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत

करने और बसावटों एवं बिखरे हुए परिवारों के लिए निर्धारित लक्ष्य के आधार पर वार्षिक चयन सूची तैयार करना फायदेमंद होगा।

वार्षिक सूची को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित की जाने वाली ग्राम सभा की बैठक में जिला कलेक्टर का नामिती भी उपस्थित होगा और इस बैठक का वीडियो बनाया जाएगा। इस सूची को अंतिम रूप देते समय इसमें जोड़े गए नए नामों और निकाले गए नामों, यदि कोई हो, की सूची कारणों सहित इसी रूप में चिन्हित की जाएगी। ग्राम सभा की यह बैठक 30 नवंबर तक संपन्न हो जानी चाहिए और तैयार सूची 31 दिसंबर से पहले जिला परिषद को भेजी जाएगी, ताकि अनंतिम लक्ष्यों के आधार पर जिला वार्षिक लाभार्थी सूची को अंतिम रूप दिया जा सके।

चयनित लाभार्थियों का ब्यौरा आवाससॉफ्ट में दर्ज किया जाना चाहिए।

4.5 लक्ष्यों का निर्धारण

ग्रामीण विकास मंत्रालय हर वर्ष इस कार्यक्रम के जिन दो पहलुओं के संबंध में राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित करेगा वे इस प्रकार हैं : -

- (i) पिछले वर्ष स्वीकृत किए गए मकानों के निर्माण कार्य संपन्न करना
- (ii) वर्ष के दौरान स्वीकृत किए गए नए मकानों के लाभार्थियों का चयन ।

95 प्रतिशत आवंटन का 4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के लिए अलग रखने के बाद लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्यों की जानकारी राज्यों को देने से पहले इनकी पुनरीक्षा अधिकार प्राप्त समिति करेगी।

4.6 लाभार्थियों का क्षमता विकास

वर्ष के लिए चयनित सभी लाभार्थियों से अपनी सुविधा के स्थान और समय पर एकत्र होने का अनुरोध किया जाएगा। विकलांग व्यक्तियों तथा वयोवृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों को इसके लिए विशेष रूप से सहायता प्रदान की जानी चाहिए। लाभार्थियों को इस कार्यक्रम के ब्यौरे और उनके अधिकारों एवं जिम्मेदारियों की जानकारी दी जानी चाहिए, जिसमें उन्हें पात्रतानुसार प्राप्त होने वाली सहायता तथा वे शर्तें शामिल हैं, जिन्हें पूरा करना उनके लिए जरूरी है। इससे भी बढ़कर उन्हें मकानों के उपलब्ध डिजाइनों और निर्माण कार्य की प्रौद्योगिकियों और श्रम एवं

सामग्री संबंधी उनकी लागतों की विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि वे किफायत और सांस्कृतिक पसंद के आधार पर सही निर्णय ले सकें। इस प्रयोजन के लिए राज्यों को पढ़ने में आसान आरेख आधारित पुस्तिकाएं स्थानीय भाषा में तैयार करनी चाहिए। विभिन्न डिजाइनों/प्रौद्योगिकियों के वीडियो तैयार करके लाभार्थियों को दिखाए जाने चाहिए। छोटे पैमाने के मॉडल प्रदर्शित किए जाने चाहिए। प्रदर्शन के लिए ब्लॉक में आसानी से मिलने वाली बस्तियों के प्रोटोटाइप तैयार किए जा सकते हैं। लाभार्थियों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे अपनी जरूरत के अनुसार सहायता का अनुरोध करें।

4.7 स्वीकृति पत्र जारी करना और प्रथम किश्त की रिलीज

जब लाभार्थी उपर्युक्त बैठक के लिए आएंगे तो निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी की जाएगी :-

- (i) राज्य विभाग/एजेंसी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में स्थानीय भाषा में प्रत्येक लाभार्थी के पक्ष में स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा जिसमें निबंधनों एवं शर्तों, विशेष रूप से भुगतान अनुसूची का ब्यौरा दिया जाएगा।
- (ii) प्रत्येक लाभार्थी को हकदारी कार्ड भी दिया जाएगा जिसमें आम जनता द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय बोली में उसकी सभी हकदारियों और दायित्व दर्शाए जाएंगे। इसमें उपलब्ध सहायता सेवाओं तथा विभिन्न सेवाओं के लिए अधिकतम समय-सीमा और शिकायतों का समाधान किस प्रकार किया जाएगा, यह दर्शाया जाना चाहिए।
- (iii) प्रत्येक लाभार्थी को प्रथम किश्त जारी करने हेतु निधि अंतरण आदेश भी दिए जाने चाहिए। यह निधि प्रत्येक लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में अंतरित की जानी चाहिए। आई.ए.वाई. के अंतर्गत लाभार्थियों को नकद में किश्त जारी किए जाने की अनुमति नहीं है।
- (iv) इसमें किसी अपवाद के लिए पर्याप्त औचित्य देने के बाद सीमित अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन अधिकार प्राप्त समिति की अनुमति ली जाएगी:-
 - (क) ग्राम सभा की बैठक में सभी सदस्यों की उपस्थिति में भुगतान किया जाएगा।
 - (ख) सभी सदस्यों के सूचनार्थ मकान के निर्माण के लिए स्वीकृत कुल राशि तथा भुगतान की जा रही किश्त की राशि की घोषणा की जाएगी।
 - (ग) लाभार्थी से भुगतान की पावती ली जाएगी और उसे ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में रखा जाएगा।
 - (घ) सामाजिक लेखा परीक्षा में इसका विशेष रूप से सत्यापन किया जाएगा।

राज्य सरकार उपर्युक्त कार्यक्रम के आयोजन के लिए कोई विशेष दिन निर्धारित कर सकती है और उस दिन को राज्य भर में आवास दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय ले सकती है। आवास स्थल संघटक के लाभार्थियों को उसी दिन भूमि का मालिकाना हक भी दिया जा सकता है। ऐसे कार्यक्रम के आयोजन से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और कार्यान्वयन एवं निगरानी में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा।

4.8 मकानों का आवंटन

विधवा/अविवाहित/अलग रह रहे व्यक्ति के मामले को छोड़कर आई.ए.वाई. मकानों का आवंटन संयुक्त रूप से पति और पत्नी के नाम पर किया जाएगा। राज्य केवल महिला के नाम पर मकान आवंटित करने का निर्णय भी ले सकता है। विकलांग व्यक्तियों के लिए कोटे के अंतर्गत चुने गए लाभार्थियों के मामले में केवल विकलांग व्यक्तियों को आवंटन किया जाना चाहिए। आवंटन आदेश ऐसे प्रपत्र में होना चाहिए जिसका निर्धारण मकान का मालिकाना हक देने वाले राज्य द्वारा किया जाएगा। आवास स्थलों के मामले में निर्धारित की गई भूमि उन मामलों को छोड़कर जहां परिवार में केवल पुरुष सदस्य हों, परिवार की उस महिला के नाम की जा सकती है जिसकी आयु परिवार में सबसे अधिक हो और पट्टे के रूप में प्रदत्त स्वामित्व तथा भूमि के आवंटन हेतु मकान भी उसी व्यक्ति को आवंटित किया जाना चाहिए। कम से कम 15 वर्षों तक मकान के अहस्तांतरणीय रहने का प्रावधान होना चाहिए।

4.9 निर्माण

निर्माण कार्य लाभार्थी द्वारा स्वयं कराया जाएगा।

आई.ए.वाई. के अंतर्गत मकानों के निर्माण में कोई ठेकेदार शामिल नहीं होगा। यदि ठेकेदार के माध्यम से निर्माण का कोई मामला जानकारी में आता है तो भारत सरकार के पास उन आई.ए.वाई. मकानों के लिए राज्यों को जारी राशि वापस लेने का अधिकार होगा। मकानों का निर्माण किसी सरकारी विभाग/एजेंसी द्वारा भी नहीं किया जाना चाहिए। आई.ए.वाई. की मूल भावना में यह अपेक्षित है कि किसी बाह्य एजेंसी द्वारा मकानों का निर्माण एवं डिलीवरी नहीं की जाएगी। तथापि, सरकारी विभाग या एजेंसियां तकनीकी सहायता प्रदान कर सकते हैं अथवा यदि लाभार्थी की इच्छा हो तो उसे सीमेंट, इस्पात या ईंट अथवा प्री-फैब्रिकेटेड संघटकों की समन्वित आपूर्ति हेतु व्यवस्था कर सकते हैं।

परन्तु, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग व्यक्तियों एवं विकलांग व्यक्तियों, जो निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण करने में असमर्थ हों और जिन्होंने ऐसी सहायता के लिए लिखित में अनुरोध किया हो, के मामले में निर्माण कार्य प्रतिष्ठित एजेंसियों को सौंपा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से उचित सामग्री एवं निर्माण प्रौद्योगिकियों अपनाने, निर्माण के प्रबंधन और निगरानी के लिए लाभार्थियों को आवश्यक सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों, परमार्थ संस्थानों, युवा संगठनों, स्कूलों एवं कॉलेजों की राष्ट्रीय सेवा स्कीम (एनएसएस) इकाइयों की सेवाएं ली जाएंगी। राज्य पारदर्शी मानदंडों के आधार पर ऐसी एजेंसियों को मान्यता देंगे और उपयुक्त सेवा प्रभार का निर्धारण करेंगे जिसका भुगतान प्रशासनिक व्यय संबंधी प्रावधानों से किया जाएगा।

4.10 डिजाइन एवं निर्माण मानक

कोई अनिवार्य डिजाइन नहीं होना चाहिए। लाभार्थी को लागत भार के साथ स्थानीय रूप से उपयुक्त सामग्री एवं निर्माण प्रौद्योगिकियों के संबंध में विकल्प सूची उपलब्ध कराई जाएगी और विकल्प का चयन लाभार्थी पर छोड़ा जाना चाहिए।

पर्यावरण-अनुकूल मकान जिसमें स्थानीय सामग्री, उपयुक्त भवन डिजाइन तथा निर्माण तकनीकें शामिल होंगे, को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। इसका उद्देश्य आवास के नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना और प्रयोक्ता को अधिक सुविधा उपलब्ध कराना है। ऐसा नवीकरणीय एवं स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री के अधिक उपयोग, मकान की उपयोगिता अवधि के दौरान ऊर्जा के कम उपयोग तथा स्थानीय मौसम पैटर्नों के लिए उपयुक्त सामग्री एवं डिजाइनों के उपयोग के जरिए किया जाएगा।

मकान के ले आउट का निर्णय भी लाभार्थी द्वारा लिया जाना चाहिए जिसे अवस्थिति के अनुसार उपयुक्त उत्तम ले-आउट के संबंध में सलाह दी जा सकती है। विकलांग व्यक्ति वाले परिवारों के लिए मकान में सरल एवं निर्बाध आवागमन की सुविधा के लिए बाधा-मुक्त संकल्पना अपनाई जानी चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं की आशंका वाले इलाकों में बने मकानों में आपदारोधी विशेषताएं शामिल होनी चाहिए।

यह भी वांछनीय है कि मकानों में आवश्यक संघटकों के अतिरिक्त निम्नलिखित शामिल हों:

- (i) आजीविका संबंधी कामकाज करने के लिए पर्याप्त स्थान हो;
- (ii) बरामदा हो;
- (iii) मकान की छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ हों।

4.11 तकनीकी सहायता

आई.ए.वाई. मकान के निर्माण के लिए तकनीकी एवं प्रबंधात्मक मार्गदर्शन के रूप में सहायता प्रदान की जानी चाहिए। मकान की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नींव डालना और लिंटेल स्तर महत्वपूर्ण चरण होते हैं। अतः कम से कम इन दो चरणों में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

4.12 निर्माण तथा किशतों की रिलीज के चरण

लाभार्थियों को दी जाने वाली किशतों की संख्या तीन निर्धारित की जानी चाहिए। किशतों की रिलीज किए गए निर्माण के स्तर से जुड़ी होनी चाहिए।

- (i) प्रथम किशत स्वीकृति आदेश के साथ आवास दिवस पर दी जानी चाहिए। यह इकाई लागत के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (ii) दूसरी किशत लिंटेल स्तर पर जारी की जानी चाहिए। यह इकाई लागत के 60 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।
- (iii) तीसरी किशत स्वच्छ शौचालय सहित मकान के निर्माण पूरा होने और लाभार्थी के उसमें रहना शुरू करने के बाद दी जानी चाहिए। परन्तु सहायता प्राप्त करने के लिए दरवाजों एवं खिड़कियों पर शटर लगाने, प्राकृतिक शक्तियों से बचने के लिए आवश्यक से इतर प्लास्टरिंग, और रंग रोगन पर जोर देने की जरूरत नहीं है। यह इकाई लागत के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रत्येक किशत जारी किए जाने से पूर्व विनिर्दिष्ट अधिकारी स्थल का दौरा और निर्माण का सत्यापन करेगा जिसका ब्यौरा समर्थन में फोटोग्राफ के साथ कार्यक्रम की वेबसाइट (आवास सॉफ्ट) पर अपलोड किया जाएगा।

4.13 निर्माण की समय-सीमा

सामान्य तौर पर, मौसम तथा अन्य कारकों के अधीन निर्माण के चरण निम्नलिखित समय सीमाओं के भीतर पूरे किए जाएंगे :-

चरण	स्तर	समय-सीमा
चरण 1	लिंटेल् स्तर तक निर्माण	प्रथम किश्त जारी किए जाने की तारीख से नौ माह
चरण 2	पूरा किया जाना	दूसरी किश्त जारी किए जाने की तारीख से नौ माह

4.14 निर्माण पूरा किया जाना

किसी भी स्थिति में किसी मकान को पूरा करने में प्रथम किश्त की स्वीकृति की तारीख से दो वर्ष से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। तथापि, चूँकि लाभार्थी बीपीएल श्रेणी से हैं जिन्हें मकान पूरा करने के लिए अपेक्षित संसाधन जुटाने में प्रायः कठिनाई होती है, अतः विलंब के मामलों की निगरानी की जाएगी और लाभार्थियों को तीन वर्ष की अधिकतम सीमा के भीतर मकान पूरा करने हेतु सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। आई.ए.वाई. मकान का निर्माण पूरा होने पर संबंधित जिला परिषद यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकार निर्मित प्रत्येक मकान में आई.ए.वाई. लोगो, निर्माण का वर्ष, लाभार्थी का नाम आदि दर्शाते हुए डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाए। इस मद पर होने वाले व्यय को योजना के तहत उपलब्ध निधि से पूरा किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक लोगो की लागत निर्धारित की जानी चाहिए परन्तु कार्यक्रम निधि से केन्द्रीय हिस्सा 100/- ₹0 से अधिक नहीं होगा।

अध्याय 5

निधि की रिलीज तथा प्रबंधन

5.1 आवंटन

राज्यों को तथा राज्यों से जिलों एवं उसके आगे निधि का आवंटन पैरा 3.5 के अनुसार किया जाएगा।

5.2 राज्य-वार प्रस्ताव

भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने के प्रयोजनार्थ राज्य, इकाई होगा। राज्य प्रत्येक किस्त के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को एक समेकित प्रस्ताव भेजेगा जिसमें पैरा 5.4 और 5.5 की अपेक्षानुसार किस्त जारी किए जाने के लिए अपेक्षित जिला-वार सूचना दी जाएगी। समस्त सूचना केवल आवास साफ्ट में की गई प्रविष्टियों के अनुसार होनी चाहिए। जिला-स्तरीय दस्तावेजों की पर्याप्त छानबीन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को मजबूत व्यवस्था स्थापित करनी होगी। राज्य सरकार के संबंधित विभाग को जिला स्तरीय प्रस्तावों के विषय में पर्याप्त सावधानी रखनी होगी। प्रथम किस्त के लिए समेकित प्रस्ताव में जिला-वार आवंटनों और इस प्रयोजन के लिए प्रयोग की गई पद्धति का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। शर्तें अब राज्य स्तर पर लागू होंगी, निगरानी व्यवस्थाओं में भी सुधार करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी एक जिले में देरी या चूक से संबंधित राज्य को निधियों का प्रवाह प्रभावित न हो।

जब तक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार नहीं हो जाती है, तब तक मंत्रालय समेकित प्रस्ताव के आधार पर ही सीधे जिलों को निधियां रिलीज करता रहेगा।

5.3 निधियों की रिलीज

निधियों की रिलीज निम्नानुसार होगी :-

- (i) वार्षिक आवंटन दो किस्तों में रिलीज किया जाएगा।
- (ii) पहली किस्त पैरा संख्या 3.5 के प्रावधान के अनुसार तय किए गए वार्षिक आवंटन के 50% के बराबर होगी।
- (iii) दूसरी किस्त वार्षिक आवंटन से पहली किस्त और पैरा संख्या 5.6 में उल्लिखित अनुप्रयोज्य कटौतियां घटाकर शेष बचने वाली राशि के बराबर होगी।

(iv) मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी रिलीजें जिलों के विनिर्दिष्ट खातों में भेजी जाएंगी।

(v) किन्नौर, लाहौल-स्पीति, लेह एवं कारगिल तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह नामक जिन जिलों/संघ राज्य क्षेत्रों में निर्माण कार्य के लिए अनुकूल मौसम की अवधि सीमित है, उन क्षेत्रों तथा अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा यथा निर्धारित ऐसे अन्य क्षेत्रों के लिए संपूर्ण केंद्रीय सहायता एक किस्त में रिलीज की जा सकती है। संबंधित राज्य को भी अपना अंश एक ही किस्त में रिलीज करना चाहिए।

5.4 पहली किस्त की रिलीज की प्रक्रिया

I. पिछले वर्ष दूसरी किस्त लेने वाले सभी जिलों के संबंध में पहली किस्त रिलीज की जाएगी। वर्ष 2014-15 से यह रिलीज भी इस शर्त के अधीन की जाएगी कि लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई हो तथा उनकी सूची आवास साफ्ट पर अपलोड कर दी गई हो।

II. पिछले वित्तीय वर्ष की दूसरी किस्त प्राप्त न करने वाले जिलों को पिछले वित्तीय वर्ष की दूसरी किस्त की रिलीज के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ पहली किस्त के प्रस्ताव प्रस्तुत करने होंगे।

5.5 दूसरी किस्त की रिलीज की प्रक्रिया

राज्य को दूसरी किस्त आगे दर्शाई गई शर्तों के अधीन रिलीज की जाएगी :-

(i) कुल उपलब्ध निधियों (प्रारंभिक शेष तथा संबंधित वर्ष के दौरान की गई रिलीजों और विविध प्राप्तियों का योग) के कम से कम 60% का उपयोग।

(ii) यदि पिछली रिलीजों के समय कोई शर्तें निर्दिष्ट की गई हों तो उन शर्तों की पूर्ति।

(iii) तीन वर्ष से भी पहले स्वीकृत शत-प्रतिशत मकानों और दो से तीन वर्ष पहले स्वीकृत 75% मकानों का निर्माण कार्य संपन्न हो गया हो।

(iv) निधियों का उपयोग और मकानों के निर्माण कार्य का समापन दर्शाने वाले आंकड़े आवास साफ्ट में दर्ज किए गए हों।

राज्य सरकार प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगी :-

- (i) जिलों से प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्र और लेखा परीक्षा रिपोर्टों के आधार पर पिछले वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त निधि हेतु उपयोग प्रमाण पत्र (पूरे राज्य के संबंध में)।
- (ii) चालू वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त निधियों के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र।
- (iii) इस आशय का प्रमाण पत्र कि सभी जिलों से पिछले वित्त वर्ष के लिए उपयोग प्रमाण पत्र/लेखा-परीक्षा रिपोर्ट और बैंक मिलान विवरण प्राप्त हो गए हैं और उनकी जांच कर ली गई है तथा उन्हें सही पाया गया है। प्रमाण पत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में ऐसी किसी अनियमितता का उल्लेख नहीं है जिसके लिए की गई कार्रवाई रिपोर्ट अपेक्षित हो या अभ्युक्तियों के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसे सही पाया गया है।
- (iv) जिला-वार वित्तीय स्थिति दर्शाने वाला विवरण जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा:-
 - (क) अथशेष (भुनाए न गए चैकों तथा समायोजित न किए गए अग्रिमों सहित), प्राप्त किया गया केन्द्रीय एवं राज्य अंश और पिछले वित्त वर्ष के दौरान विविध प्राप्तियां;
 - (ख) निधियों की कुल उपलब्धता, जिलों से प्राप्त उपयोग प्रमाण पत्र/लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्त वर्ष के दौरान व्यय एवं अंतशेष;
 - (ग) प्राप्त किया गया केन्द्रीय एवं राज्य अंश, संचित ब्याज तथा उपलब्ध अद्यतन तारीख तक चालू वित्त वर्ष के दौरान विविध प्राप्तियां;
 - (घ) अद्यतन तारीख तक चालू वित्त वर्ष के दौरान निधियों की कुल उपलब्धता तथा व्यय;
- (v) इस आशय का प्रमाण पत्र कि अनुमोदित अधिकतम सीमा के भीतर अनुमेय मदों पर प्रशासनिक व्यय किए गए हैं।
- (vi) इस आशय का प्रमाण पत्र कि दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार लाभार्थियों को निधि अंतरित की गई है।
- (vii) पिछले तथा चालू वित्त वर्ष के लिए राज्य अंश की रिलीज हेतु स्वीकृति आदेशों की प्रतियां।
- (viii) इस आशय का प्रमाण पत्र कि निधियों का उपयोग निर्धारित प्रयोजन से इतर कार्यों के लिए नहीं किया गया है और उनका गबन नहीं किया गया है।

- (ix) इस आशय का प्रमाण पत्र कि आई.ए.वाई. निधियां किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अलग बचत खाते में रखी गई हैं।
- (x) निर्धारित प्रपत्र में बैंक संबंधी विवरण।

दूसरी किस्त की रिलीज हेतु जांच सूची तथा दूसरी किस्त हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र **अनुबंध I और II** पर दिए गए हैं। उपयोग प्रमाण पत्र के लिए मॉडल प्रपत्र **अनुबंध III** पर दिया गया है।

भारत सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) राज्य द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारी (विभागाध्यक्ष) को नामित किया जाना चाहिए। आवास साफ्ट में डाटा प्रविष्टि की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रस्ताव डाटा के अनुरूप है, राज्य द्वारा किसी अन्य अधिकारी (नोडल अधिकारी) को नामित किया जाना चाहिए।

5.6 राज्य अंश की रिलीज

राज्य सरकार को केन्द्रीय अंश की रिलीज के 15 दिनों के भीतर केन्द्रीय अंश के सदृश पूर्ण राज्य अंश रिलीज करना चाहिए और उसे जिलों को आवंटित करना चाहिए। प्रशासनिक व्यय का 4 प्रतिशत राज्य अंश भी साथ ही रिलीज किया जाना चाहिए। आवंटन आदेश की प्रति मंत्रालय को पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

यदि पिछले वित्त वर्ष में राज्य के अंश में कमी हो तो केन्द्र सरकार के अंश की दूसरी किस्त से केन्द्रीय रिलीज की तुलना में अंतर की सीमा तक आनुपातिक कटौती की जाएगी (अर्थात् पूर्वोत्तर से इतर राज्यों के मामले में कमी का 3 गुना और पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में कमी का 9 गुना)।

5.7 पुनःआवंटन

किसी वित्त वर्ष में दिसम्बर माह के पश्चात दूसरी किस्त हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि राज्यों द्वारा नए चक्र को व्यवस्थित किए जाने के लिए वर्ष 2013-14 से 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिसके दौरान जनवरी माह के अंत तक प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकेंगे। यदि इस तारीख तक दूसरी किस्त हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता है तो चूककर्ता राज्यों के लिए रखा गया शेष आवंटन तथा 5 प्रतिशत आरक्षी निधि से उपलब्ध बचत को फरवरी माह

में राज्यों के बीच आनुपातिक रूप से पुनःआवंटित किया जाएगा जो निर्धारक कारक के रूप में दूसरी किस्त सहित 60 प्रतिशत से अधिक व्यय पर आधारित होगा। जनवरी माह तक उपलब्ध निधियों के 60 प्रतिशत का उपयोग करने के बाद अतिरिक्त रिलीज हेतु विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली राज्य सरकारों को पुनः आवंटन किया जाएगा। और यदि 5 प्रतिशत आरक्षी निधि का आवंटन किया जा चुका हो तथा विशेष परियोजनाओं हेतु और पात्र प्रस्ताव हों तो ऐसे प्रस्तावों को वरीयता दी जाएगी। अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन से पुनः आवंटन किया जाएगा।

5.8 आई.ए.वाई. खाते का प्रबंधन

- (i) जिला स्तर पर आई.ए.वाई. निधियां (केन्द्रीय और राज्य अंश) जिला परिषद/डीआरडीए द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अनन्य एवं अलग बचत खाते में रखी जाएंगी। राज्य सरकार मंत्रालय को बैंक शाखा तथा खाता संख्याओं का विवरण देगी तथा आवास साफ्ट एवं सीपीएसएमएस में भी ब्यौरे डालेगी।
- (ii) आई.ए.वाई. निधियों पर संचित ब्याज राशि को आई.ए.वाई. संसाधनों का हिस्सा माना जाएगा (केन्द्रीय एवं राज्य अंश के रूप में 75:25 के अनुपात में)।
- (iii) जिले ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखांकन प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे। तैयार किए गए पिछले वर्ष के जिला-स्तरीय खातों का अनुमोदन 30 जून को या उससे पहले जिला परिषद से कराया जाएगा और उसी वर्ष 31 अगस्त को या उससे पहले इन खातों की लेखा परीक्षा कराई जाएगी। जिला परिषद/डीआरडीए द्वारा खातों में अर्जित ब्याज अलग से दर्शाया जाएगा।
- (iv) केवल आई.ए.वाई. के अंतर्गत व्यय के लिए खातों से निधियों का आहरण किया जाएगा।
- (v) ऐसे सभी खातों की लेखा-परीक्षा सीएजी द्वारा की जा सकेगी।

5.9 लाभार्थियों को भुगतान

ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें नगद भुगतान किए जाने के लिए अधिकार प्राप्त समिति से पूर्व अनुमति ली गई हो, लाभार्थियों को उनके बैंक/डाकघर खातों में भुगतान किया जाएगा। खातों का विवरण तथा आधार संख्या, यदि कोई हो, की प्रविष्टि आवास साफ्ट में की जाएगी ताकि आवास साफ्ट ईएफएमएस मॉड्यूल के प्रचालनरत होते ही मॉड्यूल का प्रयोग करके लाभार्थियों के खातों में राशि सीधे जमा की जा सके। लाभार्थियों को किए जाने वाले सभी भुगतान आवास साफ्ट में दर्शाए जाने चाहिए ताकि कार्यान्वयन एजेंसी और मंत्रालय जिला स्तर तथा उससे नीचे व्यय की स्थिति एवं उपलब्ध शेष राशि के बारे में जान सकें।

अध्याय-6

सहायता प्रणालियां

राज्यों को इस योजना के अंतर्गत मकानों का निर्माण करने वाले परिवारों को सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यापक प्रणाली स्थापित करनी होगी। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

6.1 उपयुक्त निर्माण प्रौद्योगिकियों का प्रचार

राज्य सक्रिय रूप से स्थानीय सामग्री के उपयोग पर केन्द्रित उपयुक्त निर्माण प्रौद्योगिकियों की पहचान करेंगे। लाभार्थियों को इसकी सूचना पुस्तिकाओं, पैम्फलेटों, वीडियो, मॉडलों और सुगम स्थलों पर निर्मित प्रोटोटाइपों के जरिए दी जानी चाहिए।

मकान के डिजाइन में स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री के प्रति जागरूकता के साथ भवन के रूख, हवा के रूख, हरियाली, जल निकासी और भूमि के प्रकार जैसे प्राकृतिक कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

ऐसे मकानों में उत्तम निर्माण पद्धतियों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- क. अर्ध ईंट दीवार
- ख. रैट ट्रेप बोर्ड
- ग. जाली दीवार
- घ. फिलर स्लैब्स
- ड. मेहराब
- च. फ्रेम विहीन दरवाजे एवं खिड़कियां
- छ. रबल मेसनरी
- ज. बांस के निर्माण
- झ. मिट्टी के निर्माण
- ट. बिल्ट इन फर्नीचर

6.2 क्षमता विकास

राज्यों को कार्यान्वयन की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्षमता विकास योजना तैयार करनी चाहिए। राज्य यह कार्य एसआईआरडी या अन्य किसी राज्य स्तरीय संस्था को सौंप सकते हैं। क्षमता विकास योजना के घटक इस प्रकार होने चाहिए:

- (क) जिला स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण ;
- (ख) जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण ;
- (ग) प्रशिक्षकों, विशेषकर सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों, राज-मिस्त्रियों और अन्य विस्तार कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण ;
- (घ) गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं के लिए बुनियादी जानकारी एवं प्रशिक्षण ;
- (ङ) पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण।

6.3 प्रौद्योगिकी का अंतरण

राज्यों को प्रौद्योगिकी के अंतरण की प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। यह कार्य उन सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) के माध्यम से सर्वोत्तम तरीके से किया जा सकता है, जिन्हें प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों की सेवाएं लेकर इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित किया गया हो। सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों को लाभार्थियों के साथ-साथ स्थानीय राज-मिस्त्रियों के साथ निरंतर सहयोग करना होगा और सही विकल्प का चुनाव करने में लाभार्थी परिवारों की मदद करनी होगी तथा बाद में जमीनी स्तर पर इन विकल्पों को कार्यान्वित करने में भी सहायता करनी होगी।

6.4 प्रौद्योगिकी सरलीकरण केंद्र

शैक्षणिक संस्थाओं या भवन-निर्माण केंद्रों की सुविधाओं का उपयोग किया जाए, प्रौद्योगिकी सरलीकरण केंद्र उपयुक्त स्थानों पर खोले जाएं तथा चयन के समय ही सभी लाभार्थियों को इनकी जानकारी दी जाए।

6.5 सामग्री की दरें तय करना

जिलाधीश विभिन्न बिंदुओं पर सामग्री की दरें तय करेगा और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए सामग्री आपूर्तिकर्ताओं का पैनल बनाएगा तथा इन दरों की जानकारी लाभार्थियों को देगा, ताकि वे लाभान्वित हो सकें। तथापि अंतिम चुनाव लाभार्थी का होगा। राज्य सरकार आपूर्तिकर्ताओं से बातचीत करके सीमेंट, इस्पात और इसी प्रकार की अन्य मदों की अधिकतम कीमत तय करेगी और लाभार्थियों को उसका ब्यौरा देगी।

6.6 प्रीफेब्रिकेशन

जहां कहीं जिला स्तर पर निर्माण कार्य की मात्रा को देखते हुए उचित हो और लाभार्थियों ने उसे वरीयता दी हो, वहां कुछ संरचनाओं और सामग्री के सांचे पहले से तैयार किए जा सकते हैं। इनमें दरवाजे, खिड़कियां, टाइलें और छत इत्यादि शामिल हो सकते हैं।

6.7 राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण

बड़े राजमिस्त्रियों को ऐसी विभिन्न भवन निर्माण प्रौद्योगिकियों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जो स्थानीय रूप से उपयुक्त हों और उनमें लागत कम करने वाले तरीकों का इस्तेमाल किया जाता हो। जहां कहीं व्यवहार्य हो, पर्याप्त प्रशिक्षण के बाद महिला राजमिस्त्री समूहों का गठन किया जाना चाहिए। ऐसे राजमिस्त्रियों और समूहों के नाम और पतों की सूची लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

6.8 तालमेल

(i) शौचालय

सभी आई.ए.वाई. मकानों में निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण अनिवार्य है। राज्य सरकारों को ऐसी निधि प्रवाह प्रणाली स्थापित करनी चाहिए, जिससे इसमें सुविधा हो और उसमें निधि प्रवाह, लेखांकन, रिपोर्टिंग आदि शामिल होंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लाभार्थी को आई.ए.वाई. एवं एनबीए संघटकों के लिए केवल एक एजेंसी से संपर्क करना पड़े।

(ii) पेयजल

राज्य और केन्द्र सरकार के पेयजल कार्यक्रमों से तालमेल करते हुए सभी आई.ए.वाई. परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। किसी एक मकान या मकानों के समूह के लिए मनरेगा योजना के तहत पेयजल कुओं का निर्माण भी किया जा सकता है।

(iii) बिजली

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) या किसी राज्य की अन्य योजना के अंतर्गत बिजली उपलब्ध कराई जानी चाहिए और जिन क्षेत्रों में बिजली न हो, वहां सोलर लाइट उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(iv) भूमि विकास

मनरेगा योजना के तहत अलग-अलग लाभार्थियों या बसावटों की भूमि का विकास किया जाएगा। इस योजना का इस्तेमाल मृदा संरक्षण और सुरक्षा, बायोफेन्सिंग, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण, खेल के मैदानों के निर्माण इत्यादि के लिए किया जा सकता है।

(v) सामाजिक सुरक्षा

चूंकि आई.ए.वाई. लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति होते हैं, इसलिए उन्हें स्वतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) या उन राज्यों में राज्य स्तरीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जा सकता है, जिनमें आरएसबीवाई नहीं चलाई जा रही है। जीवन बीमा निगम गरीबों के लिए जनश्री बीमा और आम आदमी बीमा योजना जैसी बीमा योजनाएं चला रहा है। आई.ए.वाई. लाभार्थी इनमें से ऐसी किसी भी योजना के अंतर्गत अपना नामांकन करा सकते हैं, जो उनके लिए उपयुक्त हो।

(vi) सड़क संपर्क

मनरेगा योजना और सम्बद्ध राज्य योजनाओं के माध्यम से खड़जों या सड़कों या सीढ़ियों के रूप में सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जा सकता है।

तालमेल स्थापित करने के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव हर वर्ष जनवरी माह में बैठक आयोजित कर सकते हैं जिसमें विभिन्न योजनाओं की जिम्मेदारी संभाल रहे सभी राज्य स्तरीय विभागों/एजेंसियों को बुलाया जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए तालमेल की कार्य योजना तैयार की सके कि आई.ए.वाई. लाभार्थियों के लिए स्वतः और समकालिक तालमेल हो क्योंकि वे ऐसे परिवार होते हैं जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है।

6.9 अतिरिक्त संसाधन जुटाना

आई.ए.वाई. के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि सभी स्थानों पर किसी परिवार के लिए पर्याप्त सुविधाओं के साथ मकान बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। अतः निम्नानुसार अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाने की आवश्यकता है:

(i) राज्य सरकार से अनुपूरक अनुदान

राज्य सरकारें अतिरिक्त राशि के रूप में अपने बजट से अनुपूरक अनुदान उपलब्ध कराएंगी। यह विशेष रूप से अ.जा./अ.ज.जा. के लिए प्रासंगिक है जहां एससीएसपी तथा टीएसपी से निधि जुटाई जा सकती है।

(ii) डीआरआई ऋण एकत्र करना

आरबीआई द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों को अ.जा./अ.ज.जा. लाभार्थियों को विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 4 प्रतिशत ब्याज दर पर प्रति परिवार 20,000 रु. तक का ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्य-पद्धति का सुझाव दिया गया है:-

- (क) योजना पर चर्चा करने तथा रूपरेखाओं के संबंध में सामूहिक निर्णय लेने के लिए राज्य-स्तरीय बैंकर समितियों (एसएलबीसी) की बैठक आयोजित करना;
- (ख) जिला-स्तरीय लक्ष्यों के अनुसार डीएलबीसी को दायित्व सौंपना;
- (ग) जिला स्तर पर उनके सेवा क्षेत्र के अनुसार बैंक-वार लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया जाएगा;
- (घ) एक बार लाभार्थी का चयन हो जाने के बाद, लाभार्थियों की प्रारंभिक बैठक में डीआरआई ऋण हेतु आवेदन एकत्र किए जाने चाहिए और संबंधित बैंक शाखा में जमा किए जाने चाहिए। किसी कार्यकारी को इन आवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने का कार्य सौंपा जा सकता है।
- (ङ) डीआरआई ऋणों की स्वीकृति की निगरानी बीएलबीसी/डीएलबीसी/एसएलबीसी स्तरों सहित ब्लॉक, जिला तथा राज्य स्तरों पर की जानी चाहिए। जिला तथा राज्य स्तर पर डीआरआई ऋण स्वीकृत न किए जाने संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई करने तथा संबंधित बैंकों के परामर्श से उनका समाधान करने की जिम्मेवारी किसी वरिष्ठ अधिकारी को दी जानी चाहिए।

(iii) अन्य ऋण जुटाना

राज्य योजनाबद्ध ढंग से आई.ए.वाई. लाभार्थियों के लिए बैंकों या सहकारी संस्थानों से ऋण की व्यवस्था भी करेंगे। ऐसा अधिकतम ऋण 50,000 रु. हो सकता है और शीघ्र भुगतान करने पर ब्याज दर पर सब्सिडी दी जा सकती है। योजना की रूपरेखा तैयार करने के बाद बैंकों तथा सहकारी समितियों के परामर्श से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। जहां कहीं ऐसे ऋण प्रदान किए जाने हों, वहां लाभार्थियों को पुनर्भुगतान अपेक्षाओं के संबंध में जानकारी दी जाएगी और इस संबंध में उनकी सहमति ली जाएगी।

(iv) बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने वाली सब्सिडी संबद्ध परियोजनाएं तैयार करना

राज्य सरकारें ऐसी परियोजनाएं तैयार करने के लिए स्वतंत्र हैं जिनमें आई.ए.वाई. निधि का प्रयोग करके (अनुमेय राशि के भीतर) सहकारी बैंकों सहित किसी भी बैंक या हुडको जैसे वित्तीय संस्थानों से सुनिश्चित ऋण से जुड़ी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। कार्यान्वयन में सहयोग के लिए राज्य प्रतिष्ठित संगठनों की सेवाएं ले सकते हैं तथा उनके सेवा प्रभार को प्रशासनिक व्यय हेतु किए गए प्रावधान से और यदि वह पर्याप्त न हो तो राज्य निधि से पूरा कर सकते हैं। ऐसी विशेष परियोजनाओं के लिए अधिकार प्राप्त समिति के पूर्वानुमोदन की जरूरत होगी।

अध्याय - 7

पंचायतों की भूमिका

7.1 योजना के वास्तविक कार्यान्वयन में ग्राम पंचायतों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है, जिसमें निम्न शामिल है:

- (1) ग्राम पंचायतों द्वारा सामाजिक-आर्थिक जाति आधारित जनगणना डाटा का प्रयोग करते हुए बेसलाइन सर्वेक्षण में सहयोग किया जाएगा। ग्राम पंचायतें पात्र लाभार्थियों की भागीदारीपूर्ण पहचान में सहायता भी करेंगी।
- (2) ग्राम पंचायतों द्वारा पांच वर्षों के लिए तैयार की गई प्राथमिकता सूची तथा लाभार्थियों की वार्षिक चयनित सूची में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- (3) ग्राम पंचायतें जनता में योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार के विभिन्न फील्ड स्तरीय पदाधिकारियों, भारत निर्माण कार्यकर्ताओं, स्वसहायता समूहों तथा सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों के माध्यम से सूचना, शिक्षा और संचार अभियान चलाएंगी।
- (4) लाभार्थियों की संख्या के आधार पर ग्राम पंचायतें अपने स्तर पर अथवा ग्राम पंचायतों के क्लस्टर के लिए लाभार्थियों की बैठक बुलाएंगी और लाभार्थियों को मकानों के निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी देंगी तथा विभिन्न स्रोतों से सहायता उपलब्ध कराएंगी। ग्राम पंचायतें वहन योग्य और हरित प्रौद्योगिकियों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देंगी।
- (5) ग्राम सभा की सहायता से ग्राम पंचायतें ऐसे परिवारों की पहचान करेंगी जो स्वयं मकानों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, लाभार्थियों को सुविधा प्रदान करने हेतु ग्राम पंचायतें समय पर मकानों के निर्माण के लिए जाने-माने गैर सरकारी संगठनों/सिविल सोसाइटी संगठनों की पहचान करने में सहायता करेंगी।

- (6) उचित कीमतों पर निर्माण संबंधी जरूरी सामग्रियों तथा राजमिस्त्रियों की व्यवस्था करने में ग्राम पंचायतें लाभार्थियों की मदद करेंगी।
- (7) ग्राम पंचायतें अपने अधीन मनरेगा, बीआरजीएफ तथा राज्य एवं केंद्रीय वित्त आयोग अनुदानों इत्यादि जैसे संसाधनों का उपयोग करते हुए योजनाओं में तालमेल सुनिश्चित करेंगी।
- (8) ग्राम पंचायतें अपनी मासिक बैठकों में योजना की प्रगति पर चर्चा करेंगी।
- (9) ग्राम पंचायतें सामाजिक लेखा परीक्षा टीमों को सामाजिक लेखा परीक्षा कराने में सक्रिय रूप से सहायता देंगी।
- (10) आई.ए.वाई. के तहत विभिन्न क्रियाकलापों में सहयोग करने के लिए प्रत्येक जिला पंचायत में एक विशेष कार्यात्मक समिति अथवा कार्यबल बनाया जाएगा, जिसमें निर्वाचित प्रधान, स्थाई समितियों के अध्यक्ष, स्व-सहायता समूह नेटवर्क के कार्यकर्ता, गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधि तथा स्थानीय पदाधिकारी शामिल होंगे।

7.2 मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को चाहिए कि वे निर्माण सामग्री तथा निर्माण प्रौद्योगिकियों के संबंध में विशेष रूप से तकनीकी सहायता दें। लाभार्थियों को सतत सहायता देने के लिए उन्हें एक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करना चाहिए। उनको निर्माण के विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रकाशनों तथा इलैक्ट्रॉनिक सामग्री का अभिरक्षक होना चाहिए और उन्हें प्रकाशनों तथा इलैक्ट्रॉनिक सामग्रियों की विषय-वस्तु का सक्रिय रूप से प्रसार करना चाहिए।

7.3 मध्यस्तरीय पंचायतों को लाभार्थियों की शिकायतों का निवारण भी करना चाहिए। उनको फील्ड स्तर पर निगरानी करनी चाहिए तथा जिला परिषद को अपनी रिपोर्ट भेजनी चाहिए। मकानों के निर्माण को समय पर पूरा कराने में उनकी विशेष भूमिका है।

7.4 जिला परिषद को दिशानिर्देशों के विभिन्न प्रावधानों का वास्तविक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए जिले में कार्यक्रम के समग्र कार्यान्वयन में सहयोग करना चाहिए। जहां निर्माण कार्य में विलंब और अन्य समस्याएं हैं, वहां जिला परिषद संबंधित समस्याओं को दूर

करेगा। जिला परिषद को योजना की प्रगति की निगरानी करनी चाहिए तथा निधियों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।

पंचायतों को उनकी भूमिका प्रभावी रूप से निभाने में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार को निम्न कार्य करने चाहिए:

- (1) पंचायतों को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में सक्षम बनाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना।
- (2) पंचायतों को विशेष रूप से सामग्रियों एवं निर्माण प्रौद्योगिकियों संबंधित सूचना, शिक्षा तथा संचार संबंधी सामग्री उपलब्ध कराना।
- (3) कार्य के अनुसार प्रशासनिक व्यय उपलब्ध कराना।
- (4) राज्यों के उपयुक्त एक ऐसा आदेश जारी करना जिसमें पंचायत के प्रत्येक स्तर की भूमिका और उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया हो। ऐसा छः माह के भीतर किया जाना चाहिए।

नोट: यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन राज्यों में पंचायतें नहीं हैं उन राज्यों में उपयुक्त स्तरों पर प्रजातांत्रिक निकायों को पंचायत की भूमिका सौंपी जानी चाहिए। जिन राज्यों में ग्राम पंचायतें काफी छोटी हैं, वहां ग्राम पंचायतों का क्लस्टर बनाया जाना चाहिए तथा उन्हें अपने कार्यों को निष्पादित करने के योग्य बनाया जाना चाहिए।

अध्याय - 8

उत्तरदायित्व

8.1 प्रकटीकरण

8.1.1 स्थानीय क्षेत्र में आई.ए.वाई. के सभी घटकों के कार्यान्वयन का विवरण स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए और इस संबंध में निम्न अनिवार्य हैं :

- (i) ग्राम पंचायत स्तर पर दीवारों अथवा सूचना पटों पर विज्ञापन प्रदर्शित करना;
- (ii) एनआरएलएम के अधीन एसएचजी के सभी संगठनों को विवरणों की जानकारी देना।

8.1.2 उक्त विवरणों में निम्न शामिल होने चाहिए :

- (i) पांच वर्षीय प्राथमिकता सूची में परिवारों के नाम और पते
- (ii) विभिन्न घटकों के तहत एक वर्ष के लिए चयनित लाभार्थियों के नाम और पते:
- (iii) चयन के लिए उपयोग किए गए मानदंड :
- (iv) धन के लिए प्रत्येक पात्र परिवार और प्रदान की गई राशि;
- (v) मकान के पूरे हो जाने की तारीख

8.1.3 लाभार्थियों को स्थानीय स्तर के पदाधिकारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा, स्व-सहायता समूह के नेताओं तथा समुदाय संसाधन व्यक्तियों के माध्यम से निम्न के बारे में स्पष्ट एवं अनिवार्य रूप से जानकारी दी जानी चाहिए :-

- (1) लाभार्थियों के अधिकार और हकदारियां
- (2) लाभार्थियों की जिम्मेदारियां
- (3) आवास सॉफ्ट में मोबाइल नंबर डालने के साथ-साथ पंजीकरण

- (4) राज्य सरकार से मिलने वाली सहायता तथा सहायता सेवा उपलब्ध करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति/एजेंसियां।
- (5) अपीलों और शिकायत निवारण के लिए विभिन्न विकल्प

8.1.4 समुदाय संसाधन व्यक्तियों, सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और कॉलेजों के छात्रों की सहायता से एक समवर्ती एवं स्वतंत्र निगरानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्हें एक फार्मेट दिया जाना चाहिए जिसमें उपरोक्त उल्लिखित बिंदु हों।

8.1.5 विभिन्न चरणों के अलावा, प्रत्येक लाभार्थी की उसके वर्तमान मकान के सामने तथा आई.ए.वाई. मकान के निर्माण के पश्चात मकान के सामने से फोटो खींची जानी चाहिए।

8.2 लेखा परीक्षा

राज्य सुनिश्चित करेगा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा अनुमोदित पैनल से चुने गए सनदी लेखाकारों से सभी स्तरों पर लेखे की लेखा परीक्षा कराई जाए। लेखा परीक्षा कार्य अगले वित्तीय वर्ष में 31 अगस्त से पहले पूरा कर लिया जाना चाहिए। आई.ए.वाई. का लेखा, सभी स्तरों पर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के वेतन एवं लेखा कार्यालय के आंतरिक लेखा परीक्षा खंड द्वारा लेखा परीक्षा के लिए उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

8.3 सामाजिक लेखा परीक्षा

8.3.1 सामाजिक लेखा परीक्षा एक निरंतर एवं सतत चलते रहने वाली प्रक्रिया है जिसमें जन सतर्कता और योजना के कार्यान्वयन के सत्यापन को शामिल किया जाता है। औपचारिक सामाजिक लेखा परीक्षा प्रत्येक ग्राम सभा में वर्ष में एक बार आयोजित की जानी है, जिसमें सभी पहलुओं की अनिवार्य रूप से समीक्षा की जाएगी।

8.3.2 कार्यान्वयन में जन-जवाबदेही सुनिश्चित करना और इसके लिए प्रभावी साधन उपलब्ध कराना पंचायतों का मुख्य उद्देश्य है। यह प्रक्रिया जनता की सहभागिता और लेखा परीक्षा के

साथ निगरानी को जोड़ती है। इसका मुख्य उद्देश्य है वास्तविकता को उजागर करना न कि दोषों पर टिप्पणी करना।

8.3.3 मनरेगा के तहत राज्य सरकार द्वारा स्थापित सामाजिक लेखा परीक्षा इकाईयों (एसएयू) को आवास स्थल कार्यक्रम के कार्यान्वयन सहित आई.ए.वाई. के सभी घटकों की सामाजिक लेखा परीक्षा कराने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए एकजुट किया जा सकता है। एसएयू के द्वारा विभिन्न स्तरों पर अभिजात संसाधन व्यक्तियों को ग्राम सभा की लेखा परीक्षा के आयोजन में शामिल किया जाना चाहिए। संसाधन व्यक्तियों में प्रारंभिक स्टैकहोल्डर, एनआरएलएम के तहत सिविल सोसायटी संगठन, भारत निर्माण के कार्यकर्ता (बीएनवी) तथा अन्य संगठनों के प्रतिनिधि अथवा अन्य व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, जिन्हें नागरिक अधिकारों की जानकारी और अनुभव हो। योजना के तहत गुणवत्ता निगरानीकर्ता तथा समुदाय संसाधन व्यक्ति सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया का एक अंग होना चाहिए।

8.3.4 सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया को पूरे वर्ष के लिए आयोजित किया जा सकता है और पूरे राज्य में क्रमबद्ध रूप से संचालित किया जा सकता है। अगले वर्ष के लिए आई.ए.वाई. के विभिन्न घटकों के लिए लाभार्थी के चयन की प्रक्रिया और पिछले वर्ष के कार्यान्वयन की लेखा परीक्षा उसी ग्राम सभा की बैठक में संचालित की जा सकती है। विगत वर्ष में लाभ प्राप्त करने वाले और आई.ए.वाई. प्राथमिकता सूची में शामिल लाभार्थियों को ग्रामसभा बैठक के आयोजन की तारीख और स्थान के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

8.3.5 सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए निम्न प्रक्रियाविधि का सुझाव दिया जाता है :-

- (1) राज्य सरकारों द्वारा एक ऐसा आदेश जारी किया जाना चाहिए जो मनरेगा के तहत गठित सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई को आई.ए.वाई. की सामाजिक लेखा परीक्षा का कार्य करने में सक्षम बनाए। सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई द्वारा जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर संसाधन व्यक्तियों की पहचान की जानी चाहिए। यह इकाई रिपोर्टिंग फॉर्मेट तैयार करेगी और आई.ए.वाई. की सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगी।
- (2) ग्राम पंचायत स्तर पर या ग्राम पंचायतों के एक समूह को सामाजिक लेखा परीक्षा दल बनाया जाना चाहिए। महिला एसएचजी नेताओं को, यथासंभव दल में शामिल किया

जाना चाहिए, जिसमें पिछड़े सामाजिक समूहों, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग आदि भी शामिल किए गए हों। सामाजिक लेखा-परीक्षा दल के सदस्य उस ग्राम पंचायत के नहीं होने चाहिए जिसमें वे सामाजिक लेखा परीक्षा कर रहे हैं। सभी संसाधन व्यक्तियों और सामाजिक लेखा परीक्षा के दल के सदस्यों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

- (3) वर्ष के प्रारंभ में सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए एक समय सारणी इस तरह तैयार की जानी चाहिए ताकि प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक लेखा परीक्षा कराई जा सके।
- (4) सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई को आई.ए.वाई. के कार्यान्वयन के सभी ब्यौरे, जैसे दिशा-निर्देश, पंचवर्षीय प्राथमिकता सूची, वार्षिक चयन सूची, लाभार्थी की पिछली सूची, किए गए भुगतान, उपलब्ध कराई गई सहायता सुविधाएं, विभिन्न स्तरों पर किए गए निगरानी दौर, किए गए मुख्य निरीक्षण इत्यादि उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- (5) सामाजिक लेखा परीक्षा दल और लाभार्थियों के साथ-साथ संसाधन व्यक्ति प्रक्रियाओं और प्रक्रियाविधियों के संबंध में निम्न का सत्यापन करेंगे :-
 - (i) आई.ए.वाई. के सभी घटकों की पंचवर्षीय प्राथमिकता सूची
 - (ii) आई.ए.वाई. के घटकों के लिए किए गए परिवर्तन यदि कोई हो, और उसके औचित्य के साथ वर्ष के लिए लाभार्थियों का चयन
 - (iii) मकानों के निर्माण में प्रगति
 - (iv) मकानों के निर्माण की गुणवत्ता
 - (v) वितरित किए गए आवास स्थलों की गुणवत्ता
 - (vi) भुगतानों का परिमाण और समय-सीमा
 - (vii) लाभार्थियों द्वारा डीआरआई ऋण सहित प्राप्त किए गए बैंक ऋण
 - (viii) लाभार्थियों द्वारा खर्च किए गए अन्य ऋण
 - (ix) उपलब्ध कराई गई सहायता सेवा

(x) शिकायतें और उनका उचित एवं समय पर निपटान

(6) उपरोक्त उल्लिखित सत्यापन के पश्चात एक वरिष्ठतम व्यक्ति, जो ग्राम पंचायत से न जुड़ा हो अथवा कार्यान्वयन एजेंसी की अध्यक्षता में सामाजिक लेखा परीक्षा दल के निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए ग्राम सभा की बैठक की जाएगी। पंचवर्षीय प्राथमिकता सूची और वार्षिक चयन सूची तथा अन्य सभी ग्रामीण लाभार्थियों के लिए ग्राम सभा आई.ए.वाई. के कार्यान्वयन से संबंधित विषयों एवं मुद्दों पर विचार करने के लिए एक मंच होगी। सामाजिक लेखा परीक्षा की निगरानी के लिए सरकार ग्राम सभा में एक पर्यवेक्षक भेज सकती है। ग्राम सभा की समस्त कार्यवाहियों की विडियोग्राफी की जानी चाहिए और उपयुक्त रूप से विडियोग्राफी को कम्प्रेस कर वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए।

(7) सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्टें स्थानीय भाषा में तैयार की जानी चाहिएं और ग्राम सभा के सामाजिक लेखा परीक्षा अध्यक्ष द्वारा उस पर हस्ताक्षर कर ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार अन्य लोगों द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए और की गई कार्रवाई रिपोर्ट राज्य सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई को भेजी जानी चाहिए। इसे आगामी सामाजिक लेखा परीक्षा ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

8.4 शिकायत निवारण

8.4.1 निम्न पर विचार करने के लिए, ब्लॉक और जिला स्तर पर एक शिकायत निवारण प्रणाली होनी चाहिए:-

- 1) लाभार्थियों के चयन में अनियमितताएं
- 2) किश्तें जारी करने में अनियमितताएं
- 3) सहायता सेवाओं का प्रावधान न होना
- 4) तालमेल संबंधी योजनाओं का प्रावधान न होना

- 5) लाभार्थी द्वारा चयन किए गए डिजाइन/निर्माण प्रौद्योगिकी को स्वीकार नहीं करना

8.4.2 प्राधिकृत अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता के पास विविध विकल्प होने चाहिए जिसमें लिखित शिकायत और वेबसाइट में उपलब्ध व्यवस्था के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतें शामिल की जानी चाहिए। सभी शिकायतों की तारीख के साथ पावती दी जानी चाहिए। शिकायतों के निवारण के लिए समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। प्रत्येक माह, अगले उच्च स्तर पर शिकायतों के निपटान की निगरानी अवश्य की जानी चाहिए। एमआईएस से प्राप्त इस रिपोर्ट का इस्तेमाल शिकायतों पर की गई कार्रवाई की निगरानी के लिए किया जा सकता है।

अध्याय - 9

निगरानी

योजना की निरंतर निगरानी आवश्यक है। निर्माण की उच्च गुणवत्ता तथा समय पर कार्य पूरा किए जाने पर विशेष ध्यान देते हुए सभी स्तरों पर की निगरानी की जानी चाहिए।

9.1 भारत सरकार द्वारा निगरानी

लाभार्थियों से संबंधित सभी आंकड़ों, निर्माण में हुई प्रगति और निधि के रिलीज के साथ-साथ फोटो तथा निरीक्षण रिपोर्टों को आवास सॉफ्ट पर उपलब्ध कराना होगा, जो योजना के वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति दोनों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने का आधार होंगी।

प्रत्येक तिमाही में फोटो अपलोड करते हुए निर्माण की वास्तविक प्रगति का जायजा लिया जाएगा। इस संबंध में फोटो अपलोड करना आवश्यक है चाहे निर्माण कार्य प्रगति में है अथवा नहीं। निर्माण कार्य पूरा कर लेने पर एक फोटो अपलोड करना जरूरी है। फोटो के खींचने और उसे आवास सॉफ्ट पर अपलोड करने की लागत को प्रशासनिक व्ययों से पूरा किया जाएगा और लाभार्थी को उक्त प्रक्रियाओं के लिए किसी भी प्रकार के व्यय का वहन नहीं करना होगा।

फील्ड दौरों के दौरान मंत्रालय के राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता और क्षेत्रीय अधिकारी आई.ए.वाई. मकानों का यथासंभव दौरा भी करेंगे।

9.2 कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निगरानी

ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा निर्माण के प्रत्येक स्तर पर 10% मकानों का निरीक्षण किया जाएगा। उक्त मकानों की सूची को आवास सॉफ्ट द्वारा यादृच्छिक रूप से बनाई जानी चाहिए और निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड की जानी चाहिए।

जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा आवास सॉफ्ट से यादृच्छिक रूप से बनाई गई सूची से निर्माण के प्रत्येक स्तर पर 2% मकानों का निरीक्षण किया जाना चाहिए।

9.3 गुणवत्ता निगरानी

निम्न के संबंध में संतोषजनक गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का मार्गदर्शन तथा सहायता करने हेतु राज्य सरकार को एक गुणवत्ता निगरानी की व्यवस्था करनी होगी।

- स्थल चयन
- उपयुक्त किफायती प्रौद्योगिकी का प्रयोग
- निर्माण के लिए डिजाइन तथा अन्य सामग्रियों का चयन ताकि पर्यावरणीय दुष्प्रभाव कम किए जा सकें
- शिल्पकारिता की गुणवत्ता जो लंबे वक्त तक टिकाऊ रह सके और उपभोक्ता के लिए सुविधाजनक हो
- आरजीजीवीवाई अथवा किसी भी राज्य की योजना के अंतर्गत स्वच्छ शौचालय, धुंआ रहित चूल्हा, सोखते गड्डे और कम्पोस्ट गड्डों का निर्माण तथा बिजली के कनेक्शन का प्रावधान
- विद्युत, पलम्बिंग और सैनिटरी फिटिंग के साथ फिनिशिंग
- वर्तमान जल आपूर्ति और स्थान की स्वच्छता प्रणालियों के साथ तालमेल

आवासीय हरियाली को साधारण संकेतकों के सेट के माध्यम से मापने के लिए राज्य एक प्रणाली स्थापित कर सकते हैं। पक्के मकान के लिए यह एक मानक हो सकता है, जिसमें ईंट और सीमेंट की कंक्रीट जैसे पारंपरिक वस्तुओं के साथ सपाट छत और विशिष्ट निर्माण डिजाइन का प्रयोग किया गया हो।

9.4 समुदाय/भागीदारीपूर्ण निगरानी

ग्राम सभा की बैठक में वार्षिक चयन सूची को मंजूरी देने के लिए, निर्माणाधीन आई.ए.वाई. मकानों की लागत तथा वर्ष के दौरान पूरे किए गए मकानों की सूची को पढ़ा जाएगा और पंचायत के सूचना पटल पर उसकी एक प्रति चिपकाई जाएगी। एनआरएलएम के

तहत एसएचजी की सेवाएं लेते हुए एक समुदाय आधारित भागीदारीपूर्ण प्रणाली उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

9.5 प्रबंधन सूचना तंत्र

आई.ए.वाई. की ई-शासन को सुगम बनाने के लिए आवास सॉफ्ट स्थानीय भाषा में कार्य प्रवाह आधारित ट्रांजेक्सन स्तरीय प्रबंधन तंत्र है। इस तंत्र को ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना केंद्र) द्वारा तैयार किया गया है और उसे <http://iay.nic.in> पर उपलब्ध किया गया है। इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के सभी स्टेकहोल्डरों के लिए, जिसमें योजना के लाभार्थी भी शामिल हैं, यह तंत्र बनाया गया है। राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय समुदाय के अलावा <http://iay.nic.in> पोर्टल सभी के लिए उपलब्ध है।

9.5.1 आवाससॉफ्ट की विशेषताएं :

सभी ट्रांजेक्शनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए एमआईएस में नौ विभिन्न मॉड्यूल डिजाइन किए गए हैं, जिनकी योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यकता होगी। मॉड्यूल निम्न प्रकार हैं-

i. एक वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारण

यह ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर लक्ष्य निर्धारण (वास्तविक एवं वित्तीय) से संबंधित है।

ii. लाभार्थी प्रबंधन

यह ग्राम पंचायत से लाभार्थी के पंजीकरण में, उसके निजी विवरणों, बैंक/डाकघर खाता संख्या और आधार संख्या की सुविधा देता है।

iii. मकानों का निरीक्षण/सत्यापन

यह ग्राम पंचायत और ब्लाक पंचायत द्वारा मकानों के नियमित निरीक्षण किए जाने से संबंधित है। पदाधिकारियों और निगरानीकर्ताओं को सत्यापन की नोटिंग की सुविधा प्रदान करता है।

iv. **निधि प्रबंधन**

यह विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय से लाभार्थियों तक निधि के अंतरण की जानकारी प्रदानकरता है।

v. **निधि की मांग के लिए ऑनलाइन आवेदन**

यह जिलों द्वारा राज्यों को तथा राज्यों द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय को ऑनलाइन प्रस्ताव भेजने में सहायता देता है। इसमें लेखा परीक्षा रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों के लिए विकल्प सम्मिलित हैं। यह तंत्र रिलीज की जाने वाली राशि की गणना करता है।

vi. **ग्रामीण विकास मंत्रालय में प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई**

राज्यों द्वारा भेजे गए प्रस्ताव कार्रवाई के लिए कार्यक्रम प्रभाग द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। स्टैकहोल्डरों द्वारा विचाराधीन प्रस्ताव की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

vii. **कार्मिक मॉड्यूल**

इस मॉड्यूल में इन्दिरा आवास योजना में सम्बद्ध पदाधिकारियों के विवरण की जानकारी मिलती है।

viii. **शिकायत निवारण तंत्र**

यह सभी स्टैकहोल्डरों को अपनी शिकायतों को दर्ज कराने की सुविधा तथा अनुवर्ती कार्रवाई की जानकारी लेने की सुविधा देता है। यदि शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता है अथवा उन्हें निपटाया नहीं जाता है, तो शिकायतें प्रत्येक 30 दिनों के भीतर स्वतः ही अगले उच्च स्तर पर जमा हो जाएंगी।

ix. **वित्तीय संस्थानों के साथ लिंकेज**

इसमें सभी लाभार्थियों सहित स्टैकहोल्डरों के खातों का विवरण प्राप्त किया जाता है और इस सूचना को वेब सेवाओं के माध्यम से अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ शेयर किया जा सकता है

अथवा वित्तीय संस्थान आई.ए.वाई. पोर्टल पर संपर्क कर लाभार्थी के खाते में निधि के जमा होने संबंधी सूचना दे सकते हैं।

9.5.2 विभिन्न स्तरों पर डाटा प्रविष्टि की प्रक्रिया

ग्रामीण विकास मंत्रालय में एक नामित अधिकारी एमआईएस का संचालन करता है और एनआईसी के साथ मिलकर कार्य करता है। राज्यों के लिए लक्ष्यों और आवंटन को अंतिम रूप दिए जाने पर उन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रविष्टि किया जाएगा।

राज्य स्तर पर, राज्य सरकारें नोडल अधिकारियों को नामित करेंगी, जो एमआईएस आवास सॉफ्ट का संचालन करेंगे। अंतरण की जाने वाली निधि की किशतों की संख्या और अनुपात तथा जिला वार लक्ष्य एवं आवंटन को राज्य स्तर पर प्रविष्टि किया जाना अपेक्षित है। नोडल अधिकारी जिलों में आने वाली समस्याओं के संबंध में पूछताछ एवं मुद्दों के लिए तालमेल केंद्र के रूप में तथा आवास सॉफ्ट के संबंध में एनआईसी के साथ संप्रेषण के लिए एक सिंगल विंडो के रूप में भी कार्य करेगा। जिला स्तर पर आवास सॉफ्ट के उपयोग की स्थिति के बारे में नियमित निगरानी की जाएगी। आवास सॉफ्ट में तत्समान प्रावधान के तहत विशेष परियोजनाओं, आवास स्थल घटक इत्यादि की रिपोर्टिंग अलग से की जानी अपेक्षित है और इसे राज्य स्तर पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

डाटा एंट्री करने के लिए, जिला स्तर पर समर्पित स्टाफ का निर्धारण किया जाएगा। उक्त स्टाफ राज्य नोडल अधिकारी के साथ नियमित रूप से विचार-विमर्श करेगा। उनके द्वारा एमआईएस में ब्लॉक/ग्राम पंचायतों के लिए लक्ष्यों और आवंटन को प्रविष्टि किया जाएगा। निगरानी के लिए आवाससॉफ्ट से प्राप्त लंबित स्थिति और अपवाद रिपोर्ट आधार होंगे। जिन राज्यों में जिला परिषद योजना का कार्यान्वयन करता है, वहां आवास सॉफ्ट पर उनके द्वारा लाभार्थियों के पंजीकरण तथा उनके बैंक/डाकघर खातों का सत्यापन किया जाएगा। जिन राज्यों में ब्लॉक/ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वयन किया जाता है, वहां जिला स्तरीय अधिकारियों के द्वारा बैंक/डाकघर खाते के विवरणों की समीक्षा की जाएगी। सूचना की समय पर एंट्री सुनिश्चित करने के लिए डाटा एंट्री प्रक्रियाओं की आयोजना की जानी चाहिए।

फोटोग्राफ अपलोड करने के संबंध में, संबंधित अधिकारियों द्वारा उक्त कार्य किया जा सकता है अथवा एनआरएलएम के तहत इसे प्राथमिकता के तौर पर एसएचजी को बाह्य स्रोत

के आधार पर कार्य करने के लिए दिया जा सकता है ताकि प्रत्येक तीन महीने में सभी मकानों की फोटो अपलोड की जा सके, चाहे निरीक्षण किया गया हो अथवा नहीं।

डाटा एंट्री की प्रक्रिया वर्ष के लिए लाभार्थियों के पंजीकरण के साथ ही शुरू की जानी है। बैंक खातों की सूचना के साथ-साथ प्रोफाइल पूरी की जानी जरूरी है। लाभार्थियों की सूची को जिला परिषद/ब्लॉक/ग्राम पंचायत पर संबंधित संवितरण एजेंसी के द्वारा समेकित किया जाना चाहिए।

किसी भी आवश्यक स्टाफ की सेवा लेने के लिए 4% प्रशासनिक लागत का उपयोग किया जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ठेके पर ली गई मानव शक्ति आईटी प्रशिक्षित है तथा उसका दक्षतापूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए।

9.5.3 आवाससॉफ्ट के माध्यम से निधि की उपलब्धता

- I. चयनित लाभार्थियों को पहली किश्त एमआईएस द्वारा सृजित आर्डर शीट्स के माध्यम से जारी की जानी चाहिए।
- II. संवितरण एजेंसी के द्वारा सभी ट्रांजेक्शनों का समेकन किया जाना चाहिए और अगले उच्च स्तर पर उनका सत्यापन और प्रमाणीकरण किया जाना चाहिए।
- III. संवितरण एजेंसियों के द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरों, जिसे निधि अंतरण आदेश और लाभार्थियों के खातों में निधियों के अंतरण का इलेक्ट्रॉनिक सृजन करने हेतु जारी किया जाएगा, के पर्यवेक्षण के लिए दो हस्ताक्षरियों का निर्धारण किया जाएगा।
- IV. निधियों के वास्तविक ट्रांजेक्शन आवास सॉफ्ट के ट्रांजेक्शनों के अनुरूप होने चाहिए। तंत्र और वास्तविक ट्रांजेक्शनों के बीच कोई विसंगति न हो, इसके लिए प्रविष्टियां की जानी चाहिए और उनका अद्यतन किया जाना चाहिए।

दूसरी किश्त जारी करने के लिए प्रस्ताव की एमआईएस में दर्शाई उपयोगिता के आधार पर समीक्षा की जाएगी। अतः वित्तीय ट्रांजेक्शन को अद्यतन करने में कोई भी विसंगति एमआईएस पर खराब उपयोग के रूप में प्रकट की जाएगी, जिसके फलस्वरूप आगामी रिलीज नहीं की जाएगी।

9.6 एमआईएस के जरिए निगरानी

एमआईएस के द्वारा अनेक रिपोर्टें तैयार की जाती हैं, जिनका निगरानी और रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इन्हें कार्यान्वयन एजेंसी के स्तर पर भेजा जा सकता है। आवाससॉफ्ट के जरिए सृजित लंबित रिपोर्ट और अपवाद रिपोर्टों को निगरानी प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाया जाएगा।

- I. मंजूरीयों की तारीख वही होगी जो निगरानी प्रक्रिया शुरू करने की तारीख होगी।
- II. बाद की किशतों को जारी करने से पहले निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। निरीक्षण के लिए समय-सीमा पैरा 4.12 के अनुसार होगी।
- III. निर्माणाधीन मकानों की फोटो लेने के लिए, प्रत्येक निरीक्षण का उपयोग किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि फोटो अपलोड कर ली गई है।
- IV. समय पर निधियों की रिलीज करने और कार्य पूरा करने के लिए वर्ष की संबद्ध तिमाही में निम्न पैरामीटरों की निगरानी की जाएगी।

तिमाही	पैरामीटर
पहली और दूसरी तिमाही	उन लाभार्थियों की संख्या, जिनकी प्रोफाइल पूरी हो गई है तैयार की गई आर्डर शीट्स के अनुसार लाभार्थियों की संख्या
तीसरी तिमाही	दूसरी किशत की आर्डर शीट में लाभार्थियों की संख्या उन मकानों की संख्या, जिनका निरीक्षण किया गया
चौथी तिमाही	उन मकानों की संख्या, जिनका निरीक्षण किया गया उन मकानों की संख्या, जिनका निर्माण कार्य पूरा हो गया है
बाद में	उन मकानों की संख्या, जिनका निर्माण कार्य पूरा हो गया है

उपलब्धि के सबसे निचले स्तर से शुरू करते हुए, उपरोक्त मानकों को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा और तत्पश्चात इसे धीरे-धीरे उच्चतम तक ले जाया जाएगा। इसे निधियों के आबंटन और रिलीज से संबद्ध किया जाएगा।

9.7 आवाससॉफ्ट पर प्रशिक्षण

सभी स्तरों पर समग्र मानव शक्ति को डाटा प्रविष्टि और प्रबंधन में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। मास्टर प्रशिक्षकों को एनआईसी के द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा जो बाद में जिला एवं ब्लॉक स्तर के आपरेटरों को प्रशिक्षण देने के लिए जिम्मेदार होंगे। डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग करने वाले लोगों को प्रशिक्षण देते हुए उन्हें उपयोग संबंधी सुरक्षा की जानकारी दी जाएगी। राज्य नोडल अधिकारी एवं संबंधित जिलाधिकारियों के बीच अतिशीघ्र एवं दक्ष संचार के लिए ई-मेल के उपयोग पर जोर दिया जाएगा। आवाससॉफ्ट के लिए विस्तृत प्रयोक्ता मैनुअल पोर्टल पर भी उपलब्ध है।

अनुसूची

क्र.सं.	मद	इकाई लागत	केंद्रीय एवं राज्य अंश
1.	नए मकानों का निर्माण (i) मैदानी क्षेत्र (ii) पर्वतीय राज्य और दुर्गम क्षेत्र तथा आईएपी जिले	70000 रु. 75000 रु.	पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लिए 90:10, सं.रा.क्षे. के लिए 100:00 अन्य मामलों में 75:25
2.	जीर्ण-शीर्ण / कच्चे मकान का उन्नयन	15000 रु.	उक्त (1) की तरह
3.	पात्र भूमिहीनों के लिए आवास स्थल	20000 रु.	सं.रा.क्षे. के लिए 100:00 अन्य मामलों में 50:50
4.	प्रशासनिक व्यय	रिलीज की गई राशि का 4 प्रतिशत	उक्त (1) की तरह

नोट : प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत अनुमेय व्यय का ब्यौरा पैरा 3.6 में दिया गया है।

दूसरी किस्त की रिलीज के लिए चेक लिस्ट

1. क्या निम्नलिखित शर्तें पूरी की गई हैं :-

- (i) कुल उपलब्ध निधियों (वर्ष के दौरान अथशेष और केंद्रीय एवं राज्य रिलीज, प्राप्त ब्याज और विविध प्राप्तियों के बराबर) के कम-से-कम 60% का उपयोग हुआ है।
- (ii) पिछली रिलीजों में लागू शर्तों का अनुपालन किया गया है।
- (iii) 3 वर्ष से अधिक समय पहले स्वीकृत शत-प्रतिशत मकानों और 2 से 3 वर्ष पहले स्वीकृत 75% मकानों का निर्माण कार्य संपन्न हो गया है।
- (iv) आवास सॉफ्ट में निधियों के उपयोग और मकानों के निर्माण कार्य के समापन को दर्शाने वाले आंकड़ों की प्रविष्टि।
- (v) राज्य सरकार के पदनामित प्रतिनिधि ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

2. क्या प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं :-

- (i) जिलों से प्राप्त सट्टा प्रमाण पत्रों के आधार पर पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त निधियों का उपयोग प्रमाण पत्र।
 - (ii) लेखा परीक्षा टिप्पणियों, यदि कोई हो, पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट सहित जिलों के लेखा परीक्षित खातों के आधार पर बैंक मिलान विवरण के साथ विगत वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा रिपोर्ट।
 - (iii) चालू वित्तीय वर्ष का उपयोग प्रमाण-पत्र।
 - (iv) इस बात का प्रमाण-पत्र कि सभी जिलों से विगत वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा रिपोर्ट/उपयोग प्रमाण-पत्र मिल चुकी है और उनकी जांच कर ली गई है तथा इन्हें क्रम में पाया गया है। प्रमाण-पत्र में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट में ऐसी किसी भी अनियमितता का जिक्र नहीं है जिसके संबंध में एटीआर की जरूरत है या टिप्पणियों के संबंध में एटीआर मिल चुकी है और वे क्रम में हैं।
 - (v) जिले-वार वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाला विवरण जैसाकि आईएवाई दिशा-निर्देशों के पैरा 5.4 (v) में अपेक्षित है।
 - (vi) इस बात का प्रमाण-पत्र कि प्रशासनिक व्यय अनुमोदित सीमा के भीतर अनुमेय मदों पर ही किए गए हैं।
 - (vii) इस बात का प्रमाण-पत्र कि पंचवर्षीय प्राथमिकता सूची और वार्षिक चयन सूची तैयार करके आवास सॉफ्ट पर अपलोड कर दी गई हैं।
 - (viii) इस बात का प्रमाण-पत्र कि निधियां दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार लाभार्थियों को अंतरित कर दी गई हैं।
 - (ix) पिछले और चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य अंश रिलीज किए जाने वाले मंजूरी आदेशों की प्रतियां।

(x) निधियों का विपथन और गबन न किए जाने का प्रमाण-पत्र ।

(xi) इस बात का प्रमाण-पत्र कि आईएवाई निधियां अलग बचत बैंक खाते में रखी गई हैं।

(xii) निर्धारित प्रपत्र में बैंक का ब्यौरा ।

हस्ताक्षर

(पूरा नाम, पदनाम और कार्यालय की मुहर)

दिनांक :

इंदिरा आवास योजना

दूसरी किस्त की रिलीज के लिए प्रोफॉर्मा

1. वर्ष :

2. राज्य का नाम :

3. दूसरी किस्त की मांग करने वाले जिलों की सूची

क) पता :

ख) टेली नं. :

ग) फैंक्स नं. (यदि कोई हो) :

घ) ई-मेल पता :

4. मौजूदा वर्ष के लिए आबंटन :

5. प्राप्त निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(राशि लाख रू. में)

	रिलीजें	मौजूदा वर्ष (अर्थात))	पिछला वर्ष (अर्थात))
क.	केंद्रीय रिलीज		
ख.	राज्य रिलीज		
	कुल		

6. उपलब्ध निधियां :

क्र.सं.	मद	मौजूदा वर्ष (अर्थात))	पिछला वर्ष (अर्थात))
1.	(क) पिछले वर्ष..... से लाई गई निधियां		

	(ख) एजेंसियों के पास पहुँचे / नहीं पहुँचे वे बैंक जिनका नकदीकरण नहीं किया जा सका।		
2.	आईएवाई के अंतर्गत राज्य को प्राप्त रिलीजें		
	(क) केंद्र	(i) मौजूदा वर्ष की रिलीज (अर्थात)	
		(ii) पिछले वर्ष की रिलीज (अर्थात)	
	(ख) राज्य	(i) मौजूदा वर्ष की रिलीज (अर्थात)	
		(ii) पिछले वर्ष की रिलीज (अर्थात)	
3.	कार्यान्वयन एजेंसी के पास उपलब्ध वह अग्रिम राशि, जिसका समायोजन नहीं किया गया, यदि कोई हो (लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार)		
4.	विविध प्राप्तियां यदि कोई हो		
5.	कुल उपलब्ध निधियां		
6.	अब तक व्यय (जिलों / ब्लॉकों / कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार वास्तविक व्यय)		
7.	व्यय का प्रतिशत		
8.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति घटक पर व्यय का प्रतिशत (उपर्युक्त 5 का)		

7. पिछले वर्ष (.....) के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र (जीएफआर 19 ए फार्म) में संलग्न है।

8. पिछले वर्ष (.....) की लेखा परीक्षा रिपोर्ट लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत दर्ज संगत प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न है।

9. प्रमाणित किया जाता है कि :

(i) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत किसी भी कार्यान्वयन एजेंसी के संबंध में पिछले वर्ष की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में निधियों के गबन, निर्धारित प्रयोजन से भिन्न अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग जैसी कोई बड़ी अनियमितता नहीं पाई गई है।

(ii) पिछले वर्ष और उससे पहले के वर्षों के संबंध में लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दर्शाई गई गलतियों को ठीक करने के लिए आवश्यक कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है और अनुपालन रिपोर्ट मंत्रालय को शीघ्र ही भेज दी जाएगी/गई है।

(iii) इस योजना के अंतर्गत सभी निधियां बैंकों के बचत खातों में रखी गई हैं। बैंकों के बचत खातों में जमा कोई भी निधि निकालकर अस्थायी रूप से भी राजकोष में जमा नहीं की गई है।

(iv) इस योजना का कार्यान्वयन करते समय आईएवाई के दिशा-निर्देशों में निर्धारित सभी शर्तों की पूर्ति की जा रही है।

हस्ताक्षर

(पूरा नाम, पदनाम और कार्यालय की मुहर)

राज्य सरकार के प्राधिकृत प्रतिनिधि

दिनांक :

इंदिरा आवास योजना

(समेकित उपयोग प्रमाणपत्र)

(फॉर्म जी.एफ.आर. , 19-ए में उपयोग प्रमाण-पत्र)

वित्त वर्ष _____ के लिए उपयोग प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार केन्द्र से _____ लाख
रु० (_____ रु. मात्र) की राशि वर्ष _____ के दौरान (राज्य का नाम)
_____ द्वारा सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त की गई और राज्य सरकार से
_____ लाख रु० (_____ रु. मात्र) की राशि प्राप्त की गई। इसके अलावा,
पिछले वित्तीय वर्ष _____ की खर्च न की गई _____ लाख रु.
(_____ रु. मात्र) की राशि को चालू वर्ष _____ के दौरान उपयोग करने के
लिए अग्रेषित करने की अनुमति दी गई । वर्ष _____ के दौरान एजेंसी की विविध
प्राप्तियां _____ लाख रु० (_____ रु. मात्र) थीं ।

(क) पिछले वर्ष (.....) से अप्रयुक्त शेष :

- (i) राज्य खाते में पड़ी निधियां : _____ रु.
- (ii) जिले के पास पड़ी निधियां : _____ रु.
- (iii) ब्लॉकों / कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पड़ी निधियां : _____ रु.
- (iv) बैंक मिलान विवरण के अनुसार भुनाए न गए चैकों की राशि: _____ रु.

कुल : _____ रु.

(ख) इस वर्ष..... के दौरान प्राप्त पिछले वर्ष..... की
निधियां : _____ रु.

पत्र सं०/दिनांक	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	कुल
कुल			

(ग) इस वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान: _____ लाख रु.

पत्र सं०/दिनांक	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	कुल
कुल			

- घ) एजेंसी की विविध प्राप्तियां, यदि कोई हों :
- ड.) प्राप्त ब्याज :
- च) कुल उपलब्ध निधियां (क+ख+ग+घ+ड.) :
- छ) किया गया कुल खर्च (बीईएस के अनुसार) :
- ज) भुनाए न गए चैक (वर्ष के दौरान बीआरएस के अनुसार) :
- झ) अंत शेष (चालू वर्ष के भुनाए न गए चैकों सहित):

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि राज्य/जिला/ब्लॉक के पास उपलब्ध ऊपर उल्लिखित कुल _____ लाख रू० (_____ रू. मात्र) की निधियों में _____ लाख रू० की राशि राज्य/जिला/ब्लॉक द्वारा वर्ष _____ के दौरान उस प्रयोजन के लिए खर्च की गई जिनके लिए उनकी स्वीकृति हुई थी। कुल खर्च में से वर्ष के दौरान प्रशासनिक व्यय _____ रू. था। आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च न की गई _____ लाख रू० (_____ रू. मात्र) की शेष राशि को कार्यक्रम के लिए अगले वर्ष में उपयोग किया जाएगा। इस राशि में न भुनाए गए _____ लाख रू० (_____ रू. मात्र) का चैक भी शामिल है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि मैं संतुष्ट हूँ कि जिन शर्तों के अधीन सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया था उन्हें विधिवत पूरा किया गया है/पूरा किया जा रहा है तथा यह कि मैंने यह देखने के लिए निम्नलिखित जाँच कर ली है कि राशि का उपयोग वास्तव में उस प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए उसकी स्वीकृति प्रदान की गई थी।

4. उपर्युक्त निधि के उपयोग के परिणाम निम्नानुसार हैं :-

(क) परिणाम :

- (i) वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्य
- (ii) निर्मित /बन चुके मकानों की संख्या
- (iii) बनाए जा रहे मकानों की संख्या
- (iv) निर्मित किए जाने वाले मकानों की संख्या

(ख) वास्तविक परिणाम (आवंटित मकानों की संख्या)

वर्ग	महिला	संयुक्त	पुरुष	कुल
अनुसूचित जाति				
अनुसूचित जनजाति				

अल्पसंख्यक				
विकलांग				
अन्य				

की जा रही जाचों के प्रकार

- i. एजेंसी के वर्ष _____ से सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित लेखों का विवरण प्राप्त हो गया है तथा उन्हें मंजूर कर लिया गया है ।
- ii. जिलों के संबंध में निर्धारित वर्ष के लिए उपयोग प्रमाणपत्र तथा लेखा परीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि प्राप्त हो गई हैं तथा इनकी विधिवत संवीक्षा कर ली गई है । यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि आईएवाई के अंतर्गत वित्तीय निष्पादन भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में यथा निर्धारित जरूरतों के अनुसार रहा है ।
- iii. लाभार्थी को ब्लॉक/ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से भुगतान चैक/डीडी/खाता अंतरण/नकद के जरिए/ किया गया है । (जो लागू न हो उसे काट दें)

संलग्न : राज्य सरकार द्वारा जारी राज्य अंश के मंजूरी आदेश की प्रतियां ।

हस्ताक्षर _____

(पूरा नाम तथा कार्यालय की मुहर)

राज्य सरकार के प्राधिकृत प्रतिनिधि

दिनांक:

प्रस्ताव के साथ संलग्न दस्तावेज

क्र.सं.	दस्तावेज	पृष्ठ संख्या
1	दूसरी किस्त की मांग करने वाले जिलों की सूची	
2.	चालू वर्ष के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र	
3.	पिछले वर्ष का उपयोग प्रमाणपत्र (मूल रूप में)	
4.	चेक लिस्ट (जैसा अनुबंध-iv में है)	
5.	पिछले वर्ष के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट (मूल रूप में)	
	लेखा परीक्षक की टिप्पणियां	
	लेखापरीक्षक की टिप्पणियों, यदि कोई हों, पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट/ कोई टिप्पणी नहीं	
	प्राप्ति एवं भुगतान विवरण	
	आय तथा व्यय विवरण	
	तुलन-पत्र	
	बैंक मिलान विवरण	
	जिले-वार व्यय विवरण	
6.	इस आशय का प्रमाणपत्र कि पंचवर्षीय वरीयता सूची और वार्षिक चयन सूची बना ली गई है तथा इन्हें आवास सॉफ्ट पर अपलोड कर दिया गया है।	
7.	निर्धारित प्रपत्र में बैंक ब्यौरा	
8.	चालू वर्ष और विगत वर्ष के लिए राज्य मैचिंग अंश की रिलीज की प्रतियां	
9.	चालू वर्ष और विगत वर्ष के लिए लेखा परीक्षा किए जाने के संबंध में सीए से प्रमाण-पत्र	

10.	मंत्रालय द्वारा मांगे गए अन्य सभी दस्तावेज / स्पष्टीकरण (जब पूर्व किस्तें सशर्त रिलीज की गईं)	
-----	--	--

हस्ताक्षर _____

(पूरा नाम, पद नाम तथा कार्यालय की मुहर)

दिनांक:

